कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 60 अंकः 04 फरवरी 2014 मूल्य : ₹ 10

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

सिक्किम में मध्यान्ह् भोजन योजना : सफलता की गाथा

स्कूलों में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने से दो प्रमुख समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। मध्यान्ह् भोजन मिलने से बच्चों का पेट तो भरता ही है साथ ही वह अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। सिक्किम में प्राइमरी स्तर पर (कक्षा 1–5) बच्चों को 2002 से और कक्षा 6–8 के बच्चों को 2008 से स्कूलों में गर्मागर्म पका हुआ मध्यान्ह् भोजन दिया जा रहा है। इससे न केवल बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने में मदद मिली है, बल्कि स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से लड़कियां बड़ी संख्या में दाखिला ले रही हैं। इससे छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार में मदद मिली है और परिवार के लोगों को भूख और कुपोषण की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिला है।

सिक्किम में मध्यान्ह् भोजन की सफलता का क्या राज है? श्री एम.पी. सुब्बा निदेशक (मध्यान्ह् भोजन) ने बताया कि बाहरी एजेंसियों के साथ–साथ विभाग के अधिकारी, स्कूल प्रमुख, स्कूल प्रबंधन विकास समितियां, स्कूल प्रबंध समितियां और पंचायतें नियमित जांच करके यह सुनिश्चित करती हैं कि भोजन अच्छी तरह पका है या नहीं और इसे साफ–सुथरे माहौल में बनाया गया हो। बच्चों को खाना खिलाने से पहले अध्यापक उसे चख कर देखते हैं। योजना के बारे में एक सर्वेक्षण बाहरी निगरानी एजेंसी 'हिमालयन एजुकेशनल सोसाइटी' ने सिक्किम के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों के स्कूलों में 2011–12 में कराया था। सोसाइटी ने पाया कि स्कूलों में दिए गए भोजन को 95 प्रतिशत छात्र पसंद करते हैं। यहां तक कि जो अध्यापक अपना लंच लेकर नहीं आते वह भी इसे मजे से खाते हैं। विभाग को दी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि भोजन को साफ–सुथरे तरीके से पकाया जाता है। हालांकि दूरदराज के कुछ स्कूलों से शिकायत मिली थी कि उनके यहां खाद्यान्न की आपूर्ति में देरी होती है।

सिर्फ इतना ही नहीं मध्यान्ह् भोजन प्रकोष्ठ ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सिक्किम में हर सप्ताह व्यंजनों की सूची में बदलाव किया। राज्य में सबसे पहले चावल और मसूर की दाल देना शुरू किया गया। नए व्यंजनों में चावल, खिचड़ी, दाल, पत्तेदार सब्जियां, खीर, अचार आदि शामिल हैं। पूरा भोजन बच्चों की पसंद के अनुसार बनाया जाता है। निदेशक ने बताया, "मैंने सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वे महीने में एक बार बच्चों को अंडे या मांस अवश्य दें। उन्होंने बताया कि यह सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संभव है, जहां बच्चों की संख्या अधिक है।

बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व, विटामिन ए, कीड़े निकालने की दवा, आयरन और फोलिक एसिड आदि का प्रावधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पोषण प्रकोष्ठ और खाद्य और पोषण विभाग के साथ हर वर्ष सलाह–मशवरा किया जाता है और उनके विशेषज्ञों का इस्तेमाल स्कूलों के साझेदारों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। मध्यान्ह् भोजन प्रकोष्ठ के सहायक परियोजना समन्वयक पेमा टी. भूटिया का मानना है कि इस योजना से विभिन्न जातियों के बच्चों को एक–दूसरे के साथ सामाजिक संबंध सुधारने में मदद मिली है और वे एक साथ बैठकर एक ही तरह का भोजन करते हैं।

एक अन्य उपलब्धि हासिल करते हुए सिक्किम 2011 में देश का पहला राज्य बन गया था जिसने सबसे पहले पीडीएस लागू किया जिसमें अनाज भारतीय खाद्य निगम के भंडारगृहों से खरीदा जाता है और उसे जिलों में और उसके बाद स्कूलों में भेजा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योजना का कार्यान्वयन एक बड़ा और जटिल कार्य है। एक अनुमान के अनुसार सिक्किम में 879 सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले 85,300 बच्चों को प्रति दिन पका हुआ भोजन दिया जाता है। इनमें मठों से जुड़े 85 स्कूल और 12 संस्कृत पाठशालाएं हैं।

कुल मिलाकर सिक्किम में मध्यान्ह् भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। निदेशक ने बताया कि अब तक राज्य में ऐसा कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है, जहां भोजन पकाते समय सफाई का ध्यान नहीं रखा गया हो अथवा किसी अन्य तरह की खराबी सामने आई हो। सिवाय इसके कि मानसून के दौरान सड़कें बंद होने के कारण खाद्यान्न पहुंचने में थोड़ी देरी देखने को मिली हो। इन समस्याओं को कम करने के लिए स्कूल प्रमुखों को सलाह दी गई है कि वे इस अवधि में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार रखें।

मध्यान्ह् भोजन योजना उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2001 में शुरू की गई थी जिसमें उसने सभी सरकारों को निर्देश दिया था कि वे प्राइमरी स्कूलों के सभी बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार मुफ्त अनाज (चावल) और खाद्यान्नों, परिवहन लागत, भोजन पकाने में आने वाली लागत और मध्यान्ह् भोजन योजना से जुड़े रसोइयों और सहायकों को मानदेय देने के लिए धनराशि प्रदान कर रही है। भोजन पकाने में आने वाली लागत और रसोईयों तथा सहायकों के लिए राज्य सरकार अपना अनिवार्य 10 प्रतिशत अंश देती है।

(पसूका से साभार)

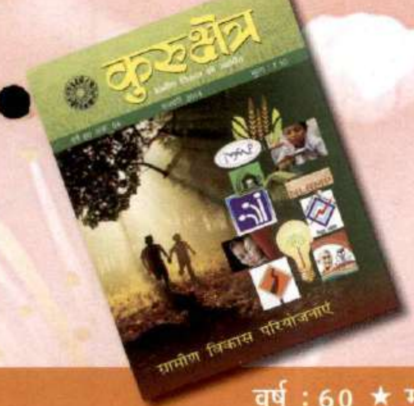

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 60 ★ मासिक अंक : 04 ★ पृष्ठ : 48 ★ माघ – फाल्गुन 1935 ★ फरवरी 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

पर्यावरण सहज विकास परियोजनाएं — डॉ. केशव टेकाम एवं तुलसीराम दहायत — 4

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका — राकेश कुमार गोडीवाल — 9

विद्युत परियोजनाएं ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ — डॉ. शशीकांत शुक्ला — 13

सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा ग्रामीण विकास — सविता कुमारी — 18

गरीबों के लिए वरदान बनी इंदिरा आवास योजना — सोनी कुमारी — 23

ग्रामीण विकास परियोजनाएं एक नज़र में — गौरव कुमार — 28

गांवों में कायापलट का क्रांतिकारी कदम-मनेरगा — सुभाष सेतिया — 33

प्याज की वैज्ञानिक खेती — डॉ. वीरेन्द्र कुमार — 37

करेला खाओ, निरोग हो जाओ — संगीता यादव — 42

एक अर्थशास्त्री ने बदली खेती की परिभाषा — बलवंत सिंह मौर्य — 46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

गांवों में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था हो या कृषि और बागवानी की पद्धतियों में सुधार अथवा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आवश्यकताएं, इन सबके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें तरह–तरह की परियोजनाएं लागू करती रहती हैं। आज़ादी के बाद से अब तक शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजनाओं का लेखा–जोखा किया जाए तो उनकी संख्या सैंकड़ों में पहुंच जाएगी। इसके अलावा समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बच्चों तथा विकलांगों को विकास के विशेष अवसर प्रदान करने की अनेक परियोजनाएं भी चलाई गई हैं।

ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में जो कार्य किए गए भले ही हमें उनमें अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हुई किंतु यह अवश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास हुआ है। आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तीन स्तरों के ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा योजनाएं संचालित हो रही हैं – बाह्य सहायता प्राप्त, केंद्र प्रवर्तित और राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम। ग्रामीण विकास को और अधिक बढ़ावा और विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसे 'विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विभाग' का नाम दिया गया। 1 अप्रैल, 1999 से इस विभाग का नाम 'ग्रामीण विकास विभाग' किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला–स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

केंद्र सरकार के स्तर पर गांवों में व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2004 में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे पहले 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई। गांवों में निर्धन लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए छत की व्यवस्था करने में सहायता देने के लिए इंदिरा आवास योजना अस्तित्व में आई। ग्रामीण शिल्पों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री में मदद देने के लिए कपार्ट की शुरुआत की गई। इसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, निर्मल ग्राम योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी असंख्य योजनाएं ग्रामीण लोगों का जीवन–स्तर बेहतर बनाने के लिए चल रही हैं। महिलाओं के लिए स्वयंसहायता समूह योजना, महिलाओं को किसान का दर्जा देने का कानून और भू–रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण जैसे कार्यक्रमों की मदद से गांवों में खुशहाली तथा बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत भी ग्रामीण विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं।

जाहिर है इन सभी परियोजनाओं से गांवों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है किंतु इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ ग्रामवासी पूरी तरह से तभी उठा सकते हैं जब वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम व सशक्त बने। ग्रामीण विकास की इसी बुनियादी जरूरत के मद्देनजर सरकार ने गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने का क्रांतिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा बनाया। यह कानून केवल रोजगार की व्यवस्था करने का ही नहीं बल्कि साल में न्यूनतम दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। यही नहीं, इसके क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका भी तय की गई है। गांवों का कायापलट करने के संकल्प के साथ लागू किया गया यह कानून अब समूचे देश में चल रहा है। इसे लागू हुए 8 साल हो गए हैं और इस दौरान मिले अनुभव के आधार पर इसमें समय–समय पर सुधार/संशोधन भी हुए हैं, और रोजगार के दिनों में तथा पगार में भी बढ़ोतरी की गई है।

दिसंबर 2013 में मनरेगा को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इसके तहत ईंटें बनाने, भंडारण की व्यवस्था करने और कृषि उत्पाद से जुड़े स्वयंसहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया। इसी तरह मनरेगा के सभी जॉब कार्डधारकों को अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली राशि 4500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई। मनरेगा महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों को समान मजदूरी दी जाती है जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है परिणामस्वरूप उनका जीवन–स्तर भी सुधर रहा है। मनरेगा कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कमाने और अपनी आवश्यकतानुसार खर्च करने की शक्ति देना है। इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाएं अपने परिवार के आर्थिक स्रोतों में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस कारण पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता बढ़ने लगी है।

मनरेगा के क्रियान्वयन के प्रति विभिन्न स्तरों पर रुचि जगाने के उद्देश्य से रोजगार–जागरण पुरस्कार नाम से एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार उन स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया जाता है जो मनरेगा के बारे में जागरुकता फैलाने और इसे लागू करने में सहयोग की दिशा में श्रेष्ठ योगदान करती हैं। कौशल विकास कर रोजगार दिलाने वाली जम्मू–कश्मीर की योजना *हिमायत* की तर्ज पर देश के सर्वाधिक नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'रोशनी' नामक परियोजना शुरू की गई है। 7 जून, 2013 को ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने इस नए कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह योजना पहले चरण में 9 राज्यों के 24 जिलों में शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत करीब पचास हजार युवाओं, जिनमें आधी महिलाएं होंगी, को विभिन्न प्रकार के कौशलपरक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिलाया जाएगा।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वर्तमान में लागू योजनाएं बेहद प्रभावी और लोकप्रिय साबित हो रही हैं तथापि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ–साथ परियोजनाओं के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पर नियंत्रण की जरूरत है ताकि गांव निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें।

Career Launcher News www.careerlauncher.com/civils

CAREER LAUNCHER

सिविल सेवा अभ्यर्थी

Test Series Notice No. 00/2014 - 15 January 2014

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2014

13* बार आयोजित की जाएगी

यदि आप CL की टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सच है। CL से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हूबहू प्रारंभिक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त करने के 12 अवसर प्राप्त होंगे जबकि अन्य संस्थान यह अवसर मात्र 2 या 3 बार प्रदान करते हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ से आप के लिए प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत सरल हो जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप 13वाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ के अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:

	UPSC	CL	अन्य
1. संपूर्ण भारत में आयोजन	✓	✓	×
2. 10,000 से अधिक अभ्यर्थी	✓	✓	×
3. सामान्य अध्ययन I & II एक ही दिन	✓	✓	×
4. हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में प्रश्न पत्र	✓	✓	×
5. ओएमआर शीट	✓	✓	×
6. स्कूलों में परीक्षा	✓	✓	×
7. ऑल इंडिया रैंक	×	✓	×
8. टेस्ट परिचर्चा	×	✓	×
9. पर्सनल फीडबैक	×	✓	×
10. टेस्ट के तुरंत बाद प्रश्न पत्र का हल	×	✓	✓

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में CL के अभ्यर्थियों की सफलता की दर 6# गुना अधिक है

30.07%
CL के अभ्यर्थियों की सफलता की दर

4.7%
अन्य अभ्यर्थियों की सफलता की औसत दर

23 मार्च 2014 से टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ

प्रधान परीक्षा 2012 एवं प्रारंभिक परीक्षा 2013 में सफल अभ्यर्थियों के लिए विशेष ऑफर

CL के 742 अभ्यर्थी सिविल सेवा प्रधान परीक्षा, 2013 के लिए योग्य पाये गये

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils /CLRocks

*CL के 12 मॉक टेस्ट +1 UPSC की असली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

हमारे पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर

कक्षाओं के लिए नए बैच शीघ्र प्रारंभ, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निकटतम् CL सेंटर पर संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सामने, फोन – 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17
साउथ कैम्पस: 283, प्रथम तल, वेकेंटेश्वरा कॉलेज के सामने, सत्या निकेतन, फोन – 24103121/39

अहमदाबाद: 2656061 | इलाहाबाद: (0)9956130010 | बंगलुरू: 41505590 | भोपाल: 4093447 | भुवनेश्वर: 2542322 | चंडीगढ़: 4000666 | चेन्नई: 28154725
हैदराबाद: 66254100 | इन्दौर: 4244300 | जयपुर: 4054623 | लखनऊ: 4108009 | नागपुर: 6464666 | पटना: 2678155 | पुणे: 32502168

KH-255/2013

पर्यावरण सहज विकास परियोजनाएं

डॉ. केशव टेकाम एवं तुलसीराम दहायत

पर्यावरण सहज विकास ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ भावी पीढ़ी की भी जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। पर्यावरण सहज विकास हरित संकेतकों का उपयोग तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मूल्यांकन भी करता है। पर्यावरण सहज विकास समावेशी विकास में सहयोग करता है। पर्यावरणीय स्थायित्व को उन्नत करता है, प्राकृतिक आपदाओं को झेल पाने में समुदायों का सहयोग करता है एवं सार्वजनिक व्यय को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहयोग करता है।

पर्यावरणीय चुनौतियां विकासात्मक उद्देश्यों एवं लाभ को सीमित कर सकती हैं। तेज आर्थिक विकास एवं लाभ कमाने की क्षमता के कारण भविष्य में संसाधनों की सीमितता की समस्या उत्पन्न होगी। भूमि अवक्रमण और जल-स्तर में कमी आने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर बढ़ रहे दबाव के परिणामस्वरूप खाद्यान्न, सामाजिक, आर्थिक, आजीविका और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति गम्भीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। रोजगार तथा आय में वृद्धि करने हेतु वर्षा सिंचित, अवक्रमित भूमि अथवा बंजरभूमि, सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों और सामाजिक पूंजी का सतत् विकास करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। ग्रामीण समुदायों को सामाजिक-आर्थिक रूप से अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि और जल के संरक्षण के लिए सहभागी विकास की संभावना को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। रोजगार गारंटी योजनाओं में जल संरक्षण कार्यों, तालाबों में से गाद निकालने, टैंकों की मरम्मत और इन्हें नवीकृत करने, कुएं खोदने, वनीकरण आदि को प्राथमिकता दी गई है।

औद्योगिक विकास, नगरीकरण एवं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ-साथ भारत में वन वृक्षों, जलाशयों, नदियों, झीलों, पर्वतों तथा खेतिहर पशुओं का तीव्र गति से ह्रास हुआ है। मिट्टी, पानी, वायु और आहार का प्रदूषण खतरे की सीमा को स्पर्श कर गया है। भूमि कटाव, सूखा, बाढ़, प्रदूषण और महामारी की काली छाया भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पर फैलती दिखाई देती है। भूजल, नदियां, झीलें और हिमनद भी प्रदूषण की सीमा में आ गए हैं। कृषि, कृषि भूमि तथा जल

प्रदूषण, जल संकट, कांपती धरती, प्रलयकारी सागर, बदलता मौसम, भयावह चक्रवात और धुंधला आकाश खतरे की चेतावनी देते हैं। पर्यावरण संरक्षण और परिस्थितिकी संतुलन की समस्या 21 वीं शताब्दी की एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन गई है। हमें ऐसी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जिससे हमारी जनशक्ति, पशुशक्ति सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे–भूमि, वनवृक्ष, वनस्पति, जलाशय, नदी, पर्वत, सागर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, खनिज ऊर्जा, जैविक ऊर्जा का पूर्ण विकास एवं उपयोग किया जा सके।

पर्यावरण सहज विकास का आशय : पर्यावरण सहज विकास ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता के साथ भावी पीढ़ी की भी जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। विकास गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित एवं संरक्षित करने का एक तरीका है। यह स्वच्छ सामग्री के उपयोग, तकनीकी एवं पर्यावरण मित्र उत्पादों, जीवनयापन, उद्यम और रोजगार सृजन की एक प्रक्रिया है। पर्यावरण सहज विकास हरित संकेतकों का उपयोग तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मूल्यांकन भी करता है। पर्यावरण सहज विकास समावेशी विकास में सहयोग करता है। पर्यावरणीय स्थायित्व को उन्नत करता है, प्राकृतिक आपदाओं को झेल पाने में समुदायों का सहयोग करता है एवं सार्वजनिक व्यय को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहयोग करता है।

पर्यावरण सहज विकास के लाभ : पर्यावरण सहज विकास योजनाएं निम्न बड़े परिणाम प्रदान करती हैं–

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सुधार – ग्रामीण विकास परियोजनाएं मुख्यतः मनरेगा, आई.डब्ल्यू.डी. पी., प्राकृतिक संसाधनों के नवीकरण व पुनर्जीवन की ओर केन्द्रित हैं। इनका मुख्य कार्य भूमि एवं जल संसाधनों का संरक्षण एवं नवीकरण, कृषि उत्पादों में वृद्धि और कृषि संबंधी जीवनयापन में सुधार करना है। ये योजनाएं भूमिक्षरण, भूजल पुनर्भरण, वानस्पतिक आवरण में वृद्धि, जैव विविधता में सुधार और प्राकृतिक संसाधनों के चुनाव और पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने में सहयोग कर सकती हैं।

संसाधनों के उपयोग की कुशलता में वृद्धि – ग्रामीण विकास परियोजनाएं आवश्यक सेवाओं और ग्रामीण जीवन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की कुशलता में वृद्धि कर सकती हैं। आई. डब्ल्यू.डी.पी. योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि करने वाले अवसर जैसे उपयुक्त फसल प्रक्रिया का चयन, खेती की तकनीक, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई व्यवस्था उन्नत सिंचाई विधि द्वारा की जा सकती है।

पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में कमी – पर्यावरण सहज विकास आर्थिक विकास के कारण पड़ने वाले नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों जैसे– प्रदूषण, अपशिष्ट आदि को कम करने की संभावना प्रदर्शित करता है। निर्मल भारत अभियान ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ और सफाई को बेहतर बनाना तथा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य व जीवन–स्तर को भी बेहतर बनाता है। जैविक कृषि तथा नवीकरण योग्य साधनों का उपयोग आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पर्यावरण संतुलित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

समुदायों की जलवायु को झेल पाने की क्षमता में मजबूती – पर्यावरण सहज योजनाएं ग्रामीण जनसंख्या उत्पादन व्यवस्था को लोचशील बनाती हैं। विभिन्न योजनाओं के सहयोग से पर्यावरण विभिन्नता के कारण उत्पन्न जोखिमों को कम करता है। मौसमीय उच्चावचन जैसे– सूखा, बाढ़, चक्रवात, वानस्पतिक आवरण आदि के कारण प्रभावित होने वाले जीवन–स्तर को संतुलित करता है।

जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में योगदान – बड़े पैमाने पर वनीकरण और मृदा संरक्षण के कारण ग्रीन हाउस प्रभावों को कम करता है।

पर्यावरण सहज विकास योजनाएं

पर्यावरण स्थायित्व हेतु योजनाओं में संभावित सहयोग की आशा की गई है। प्रमुख योजनाओं में गुणवत्ता में वृद्धि और पारिस्थितिकी–तंत्र को वहन करना। प्राकृतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं में संसाधनों के नवीकरण एवं संरक्षण पर बल दिया गया है। निम्न छः प्रमुख योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सहज परिणाम प्राप्त करने की सरकार द्वारा आशा की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) – पर्यावरण सहज मनरेगा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में सहयोग करता है। कृषि उत्पादन व्यवस्था में भी स्थायित्व प्रदान करता है। मृदा उर्वरता, भूजल पुनर्भरण, और वानस्पतिक आवरण की उन्नति स्थानीय पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। वनरोपण, मृदा एवं जल संरक्षण, आपदा जोखिम में कमी, जैवविविधता का संरक्षण, जलवायु विभिन्नता व परिवर्तन के वैश्विक संकट को कम करके वैश्विक पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सकता है। मनरेगा पहुंच और बजट के आधार पर देश का सबसे बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम है।

इसकी 50 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं जल से संबंधित हैं। जल संरक्षण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, सूखा सूक्ष्म सिंचाई आदि कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है।

इसका विकासात्मक लक्ष्य उच्च फसल उत्पादकता एवं उत्पादन है। इस बात के पर्याप्त प्रभाव हैं कि मनरेगा परियोजनाओं ने मृदा एवं जल संरक्षण नवीकरण में सहयोग दिया है। इस प्रकार के परिणाम कर्नाटक, म.प्र., आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में देखने को मिले। तालाबों के निर्माण, टैंक, कुंआ, आदि के निर्माण व नवीकरण से म.प्र. के सीधी जिले ने 372 एकड़ फसलीय क्षेत्र में वृद्धि की है। सिंचित जल की उपलब्धता बढ़ने से केरल में नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। म.प्र. के खरगौन जिले में नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम ने नदी पुनर्जीवन के प्रवाह को दो से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया एवं भूमिगत जल में दो से 3 मीटर तक वृद्धि हुई। म.प्र. के उज्जैन जिले में 26 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। म.प्र. के छिन्दवाड़ा व पन्ना जिले में क्रमशः 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी एवं कुशल संस्थागत मंच का निर्माण करना है। टिकाऊ आजीविका वृद्धि और वित्तीय संस्थाओं के उपयोग में सुधार के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य अधिक महत्वाकांक्षी है और इसे एक अभियान के रूप में लागू किया गया है। वर्तमान आवंटन आधारित रणनीति को मांग आधारित रणनीति में बदलने में मदद मिलेगी ताकि राज्य गरीबी कम करने के लिए अपनी खुद की आजीविका आधारित कार्ययोजना बना सकें।

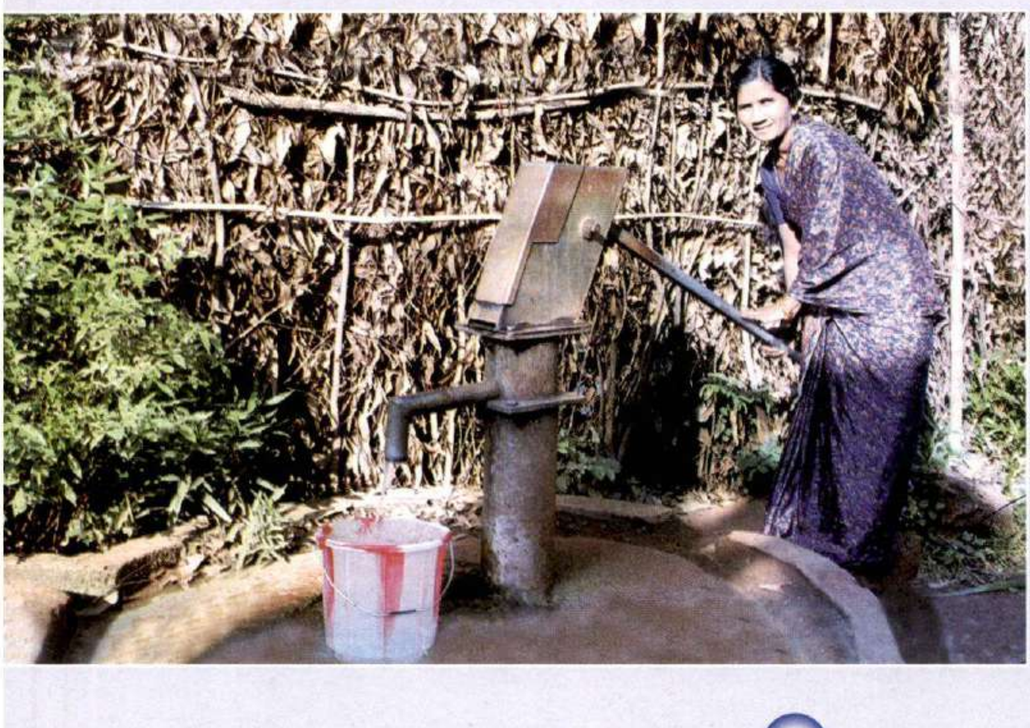

आजीविका का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है।

ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी सशक्त एवं स्थाई संस्थाएं बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं हुनरमंद मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है जिससे उनकी गरीबी कम हो। तथा नतीजतन उनकी जीवनशैली में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो। इस योजना का केन्द्र गैर–लकड़ी वन उपज, स्थायी कृषि विकास, गैर–कृषि रोजगार आधार पर पर्यावरण सदृश्य बनाने पर केन्द्रित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मजबूत हरित बल है। हरितक्रांतियां आजीविका उपक्षेत्र राष्ट्रीय–स्तर की गतिविधियों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम – समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तत्कालीन सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और भूमि संसाधन विभाग के समेकित बंजर विकास कार्यक्रम का संशोधित कार्यक्रम है। यह संयोजन संसाधनों, स्थायी निष्कर्ष और एकीकृत योजना के अधिकतम उपयोग के लिए है। यह योजना 2009–10 के दौरान प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम को वाटरशेड परियोजना विकास 2008 के सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, वनस्पति, और जल जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करना है। इसके परिणामस्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है। वर्षाजल एकत्रीकरण होता है तथा भूजल– स्तर का संभरण होता है। इससे बहुफसलें लगाने और विविध कृषि आधारित कार्यकलाप चलाने में मदद मिलती है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम– इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को बुनियादी आवश्यकताओं में से

एक स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ग्रामीण भारत में स्थायी पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि जहां कहीं भी यह संभव था लगभग 55 प्रतिशत परिवार पाइप जलापूर्ति से जोड़े गए हैं। वर्तमान में इसके दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि जल की गुणवत्ता व जलापूर्ति स्रोत में स्थायित्व को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना को पर्यावरण सहज बनाना कार्यक्रम की अनिवार्यता है। जहाँ तक संभव हो सके बहुस्रोत व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। वास्तविकता, सुरक्षा व स्थायित्व को सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित जलापूर्ति एवं जल की गुणवत्ता हेतु एक विस्तृत निगरानी प्रणाली तैयार की जाएगी।

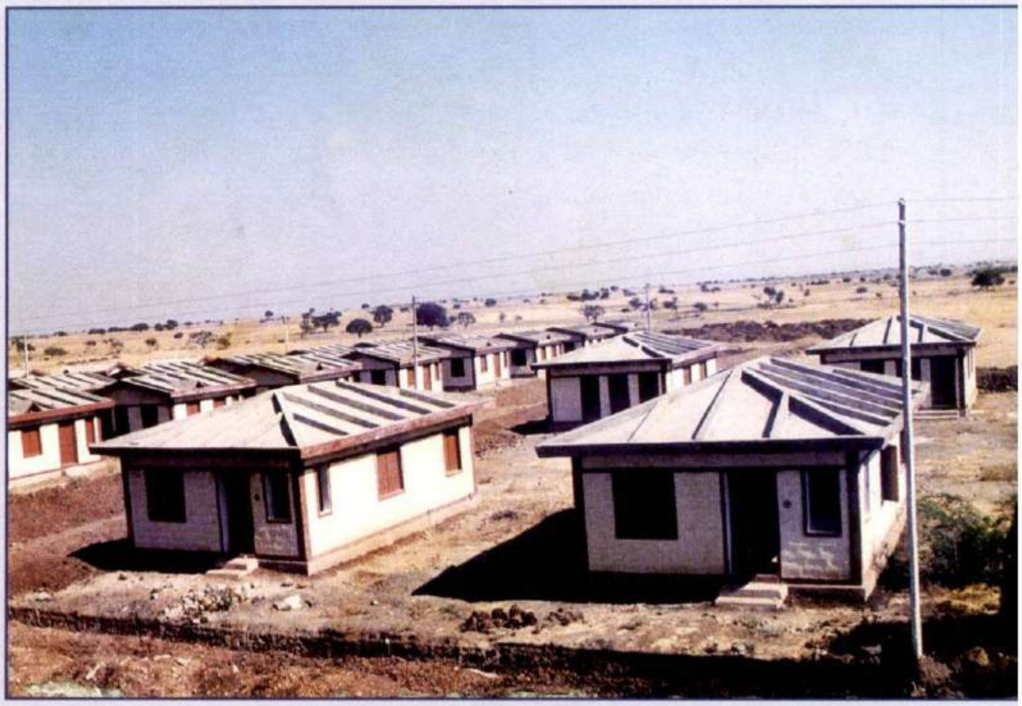

योजना को पर्यावरण सहज बनाने हेतु छत पर वर्षा जल संचयन, स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन, तथा नदियों के उपचार हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। भूजल जलभृतों, नवीकृत साधनों का उपयोग, जलगुणवत्ता निगरानी, पेयजल आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया गया है।

निर्मल भारत अभियान – व्यक्तिगत स्वास्थ्य और साफ–सफाई काफी हद तक पेयजल और समुचित स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। अस्वच्छ पेयजल का उपयोग करना, मानव मल का सही निपटान न होना, भोजन की सफाई व्यवस्था न होना कई बीमारियों की जड़ है।

व्यक्तिगत साफ–सफाई, घरेलू स्वच्छता, पेयजल, कूड़ा–करकट निपटान, मलमूत्र निपटान, और अपशिष्ट जल के निपटान को शामिल करने के लिए स्वच्छता की अवधारणा का विस्तार किया गया। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा निजी पारिवारिक शौचालय बनवाए जाने और उसका इस्तेमाल किए जाने की उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रियाकलाप शुरू करने के अलावा विद्यालय शौचालय इकाइयों, आंगनबाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी सहायता का विस्तार किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं –

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन–स्तर में सुधार।
- 2022 तक निर्मलता को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।
- स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना।

निर्मल भारत अभियान पारिवारिक अपशिष्ट को जैविक खाद्य में परिर्वतित करके ईंधन, जल, सिंचाई और भूजल पुनर्भरण द्वारा ग्रामीण पर्यावरण को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मानव पशु मलमूत्र के सुरक्षित निपटान तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट का बायोगैस व उर्वरकों के माध्यम से जो पर्यावरण सहज परिणाम मिलेंगे वो मृदा उर्वरकता में वृद्धि करेंगे।

इंदिरा आवास योजना – ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसमें शुरुआत से ही ऐसे गरीबी के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सहायता दी जाती है जो या तो बेघर हैं या जिनके पास सुरक्षित और टिकाऊ आश्रय के निर्माण के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। वहनीयता, अनुकूलता, रोजगार सृजन, पर्यावरण लाभ, जीवन चक्र में ऊर्जा की खपत, रखरखाव, एवं टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों के चयन को बढ़ावा देना। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का निर्धारण और पारंपारिक एवं स्थानीय प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, जिससे

टिकाऊ मकानों का निर्माण हो पाएगा जोकि उचित रखरखाव करने पर कम से कम 30 वर्षों तक चल सकें। सुव्यवस्थित निकाय के रूप में ध्यान केन्द्रित करना जिसमें जल, धूप और हरियाली जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को बरकरार रखा जाता है। और जो ग्रामीण आजीविका के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं के प्रति भी संवेदनशील हो। अनुसूचित जातियों–जनजातियों के परिवारों, महिलाओं की प्रमुखता वाले परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त करने और मकानों का निर्माण कर पाने में सक्षम बनाते हुए पुरजोर तरीके से समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। पारंपारिक राजमिस्त्रियों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और इंजीनियरों के हुनर को तराशना तथा नई जानकारियां प्रदान करना और महिला राजमिस्त्रियों के समूहों में अच्छे डिजाइन, उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकियों एवं साथ ही निपुण कार्यस्थल एवं निर्माण प्रबंधन के साथ–साथ किफायती निर्माण कार्य की समझ विकसित करना।

सरकारी प्रयास

- प्रत्येक योजना के लिए हरित नवीनता कोष की स्थापना, हरित समाधानों की मांग को पंजीकृत करना, हरित समाधानों के विकास हेतु तकनीकी प्रदान करने वालों को आमंत्रित करना, हरित समाधानों का डाटाबैंक तैयार करना।
- हरित परिणामों के प्रोत्साहन हेतु प्रेरक व्यवस्था की स्थापना करना।
- प्रगति की वार्षिक हरित रिपोर्ट तैयार करना।
- भूदृश्य, वाटरशेड या जलागार आधारित नियोजन के आधार पर हर ग्राम पंचायत के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा सकती है।
- पर्यावरण सहज प्रस्ताव तैयार करने और पर्यावरण सहज परिणामों के मूल्यांकन की ग्राम पंचायत की क्षमता को मजबूत बनाना।
- ग्रीन इण्डिया मिशन और संयुक्त वन प्रबंधन के अभिक्षरण से वन भूमि के उपयोग की ओर अधिक ध्यान देना।
- गैर–लकड़ी वन उत्पादों को टिकाऊ ढंग से प्राप्त किए जाने और टिकाऊ कृषि व मवेशी प्रबंधन के लिए नियम तैयार करना।
- टिकाऊ प्रचलन अपनाने से स्वसहायता समूहों को हुई कम श्रम उत्पादकता की भरपाई हेतु उन्हें "श्रम सब्सिडी" उपलब्ध कराना (मौजूदा दिशानिर्देशों में केवल पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है)।
- मृदा स्वास्थ्य, जैवविविधता और जल संसाधनों के टिकाऊपन के लिए संकेतक स्थापित करना और इन संकेतकों का इस्तेमाल करते हुए संसाधनों के टिकाऊपन के लिए लक्ष्य स्थापित करना।
- जल सुरक्षा योजनाओं में पानी संबंधी सभी संगत मांगों पर ध्यान दिया जाना।
- ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाना।
- ग्रामीण स्वच्छता के स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ने वाले ठोस लाभप्रद प्रभावों के प्रचार–प्रसार के लिए अभियान की शुरुआत करना।
- इंदिरा आवास योजना के तहत बने मकानों के जीवनकाल के लिए पर्याप्त पर्यावरण सहज निर्माण सामग्री की सूची उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी तैयार करना तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता पर्यावरण सहज सेवाओं की मात्रा और प्रभाविता के आधार पर दी जाए।
- इंदिरा आवास योजना के तहत निश्चित संख्या में पर्यावरण सहज आवासीय इकाईयां बनाने का संकल्प लेने वाले जिलों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराना।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सरकारी निवेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और प्रभावी बनाने के लिए निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर पर्यावरण सहज विकास में वृद्धि की जा सकती है। निजी निवेश को प्रोत्साहन जोकि हरित व्यवसाय जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सृजन, जैविक आदान श्रृंखला, पर्यावरणीय मित्र वस्तुओं का उत्पादन आदि में सहयोग कर सकता है। गरीबी में कमी और आर्थिक वृद्धि में स्थायित्व तभी संभव है जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन स्थायी आधार पर किया जाए। विकास योजनाओं को पर्यावरण सहज बनाना आर्थिक दृष्टि से अच्छा प्रयास है। प्रमाण बताते हैं कि सही ढंग से लागू किए जाने पर पर्यावरण सहज योजनाएं रोजगार सृजित करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती हैं गरीब समुदायों में प्राकृतिक आपदाओं को झेल पाने की क्षमता का निर्माण करती हैं। अपनी सबसे बड़ी और बेहद महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास योजनाओं को पर्यावरण सहज बनाकर सरकार ने दूरदृष्टि का परिचय दिया है। पर्यावरण संरक्षण आज राष्ट्रीय ही नहीं एक वैश्विक आवश्यकता बन गई है। भारत ही नहीं पूरे विश्व को पर्यावरण संतुलन हेतु ईमानदार प्रयास करने होंगे अन्यथा आने वाले वर्षों में हमें प्रकृति के प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहना होगा।

सहायक प्राध्यापक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
सहायक प्राध्यापक, शास. कन्या महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)
ई–मेल : tulsiram.dahayat@gmail.com

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका

राकेश कुमार गोडीवाल

धन के दुरुप्रयोग को ढूंढने के लिए सतर्कता अंकेक्षण किया जाता है। यह परम्परागत अंकेक्षण प्रणाली अपने नवीनतम प्रकार तक आ पहुंची है जो सीधे आम जन को 'जज' की भूमिका देकर सशक्त बना रही है। सामाजिक अंकेक्षण विकास अंकेक्षण से भिन्न है क्योंकि जहां विकास अंकेक्षण में किसी कार्यक्रम या परियोजना का आर्थिक या पर्यावरणीय पक्ष जैसे कार्यकुशलता इत्यादि को देखा जाता है, वहीं सामाजिक अंकेक्षण में 'सामाजिक प्रभावों के उपेक्षित पक्ष' को भी विश्लेषित किया जाता है।

भारत एक विकासशील, कृषिप्रधान एवं ग्रामों का देश है, यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन कि "भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांवों में बसती है" उनके ग्रामीण विकास के प्रति लगाव, जुड़ाव एवं महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अवधारणा के अनुसार अगर यदि कहा जाए कि ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास सम्भव नहीं है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय है "गांवों का समग्र विकास करना"। ग्रामीण वह हैं जो गांवों में निवास करते हैं और जिनकी जीविका का मूल आधार कृषि है। ग्रामीण विकास को सदैव कृषि विकास से जोड़ा गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं के निर्माण के साथ–साथ मानवीय विकास के विविध पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। बिना बुनियादी सेवा के निर्माण एवं विकास के समग्र ग्रामीण विकास की कल्पना करना निरर्थक है। इन बुनियादी सेवाओं का समग्र अर्थ उन सेवाओं एवं योजनाओं से है जिनमें सड़क, रेल, परिवहन, दूरसंचार, पारम्परिक ऊर्जा का विकास, स्वच्छ जल आपूर्ति, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, आधुनिक सिंचाई सुविधा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की पहुंच, ठोस कचरा प्रबन्धन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं समय–समय पर आवश्यकतानुसार बनाई गई और ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किए गए परन्तु आज भी हम अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। यह अवश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास हुआ है। आज सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तीन स्तरों के ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित हो रही हैं यथा बाह्य सहायता प्राप्त, केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे

लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसे "विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विभाग' का नाम दिया गया।

1 अप्रैल, 1999 से इस विभाग का नाम "ग्रामीण विकास विभाग" किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला–स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

पूरे भारत में लाखों की संख्या में विकास कार्य ग्रामीण विकास के नाम पर चलाए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों का लाभ वास्तविक हितधारियों को प्राप्त नहीं हो रहा है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि उन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जन–भागीदारी को बढ़ाया जाए और इस जन–भागीदारी को बढ़ाने के एक साधन के रूप में "सामाजिक अंकेक्षण" के सिद्धान्त को अपनाया गया है।

जनसाधारण के द्वारा प्रशासनिक कृत्यों के मूल्यांकन एवं समीक्षा की सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली तुलनात्मक रूप से एक ऐसी नयी अवधारणा तथा प्रक्रिया है जो भारत में सुशासन के संदर्भ में लोकप्रिय हुई है। यद्यपि सामाजिक अंकेक्षण विचारधारा की शुरुआत विगत सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में हुई थी तथापि इसे व्यापक रूप से लोकप्रियता हाल ही के दशकों में मिली है। दरअसल अंकेक्षण के कई प्रकार तथा मंतव्य होते हैं। वैसे राजशाही व्यवस्थाओं से लेकर अद्यतन अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य 'नियंत्रण' ही रहा है। अंकेक्षण का केन्द्रीय चिन्तन समय के साथ परिवर्तित हुआ है।

अपने शुरुआती दिनों में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा निजी उपक्रमों या उद्योग–धन्धों की सामाजिक जवाबदेयता तथा उनके कृत्यों से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन से सम्बन्धित थी। इस प्रकार यह अवधारणा नियमित सरकार का एक अंग थी। कालान्तर में इसमें सरकारी कार्यक्रमों विशेषतः सामाजिक परिवर्तन एवं विकास को लक्षित योजनाओं का समाज पर पड़े प्रभाव के मूल्यांकन का दृष्टिकोण भी जुड़ा किन्तु विगत दशकों में यह अवधारणा जिस रूप में लोकप्रिय हुई है वह है– सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब–किताब जांचना।

भारत के पूर्व अतिरिक्त उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एम.पार्थसारथी का कहना है कि अंकेक्षण के क्रम में कई प्रवृत्तियां उभरी हैं, वह इस प्रकार हैं–

- नियमितता अंकेक्षण = नियमों का पालन देखना।
- औचित्य अंकेक्षण = तार्किकता एवं बुद्धिमता देखना।
- धन का मूल्य अंकेक्षण = मितव्ययिता देखना।
- निष्पादन मूल्यांकन = कार्यकुशलता देखना।
- सामाजिक अंकेक्षण = प्रभावशीलता देखना।

धन के दुरुप्रयोग को ढूंढने के लिए सतर्कता अंकेक्षण किया जाता है। यह परम्परागत अंकेक्षण प्रणाली अपने नवीनतम प्रकार तक आ पहुंची है जो सीधे आम जन को 'जज' की भूमिका देकर सशक्त बना रही है। सामाजिक अंकेक्षण विकास अंकेक्षण से भिन्न है क्योंकि जहां विकास अंकेक्षण में किसी कार्यक्रम या परियोजना का आर्थिक या पर्यावरणीय पक्ष जैसे कार्यकुशलता इत्यादि को देखा जाता है, वही सामाजिक अंकेक्षण में 'सामाजिक प्रभावों के उपेक्षित पक्ष' को भी विश्लेषित किया जाता है।

भारत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पारदर्शिता लाने एवं जनसहभागिता निभाने के आन्दोलन से लोकप्रियता मिली है। विगत सदी के अन्तिम दशक में शुरू हुए जन सुनवाई प्रयासों ने सामाजिक अंकेक्षण की महता सिद्ध की। इस क्षेत्र की अग्रणी स्वैच्छिक संस्था "मजदूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा सर्वप्रथम 7 दिसम्बर, 1994 को राजस्थान के रायपुर (पाली) में सरकारी कार्यों एवं उनके व्यय की सुनवाई हुई। कालान्तर में अगस्त, 1996 में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत विकास कार्यों के दस्तावेज जनता को दिखाने का प्रावधान किया। 03 अपैल, 2001 को जनावद ग्राम पंचायत, जिला–राजसमंद (राजस्थान) के विकास कार्यों के क्रम में हुई चर्चित जन सुनवाई के दौरान गड़बड़ी सामने आई तथा सामाजिक अंकेक्षण का महत्व निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया।

'हमारा पैसा–हमारा हिसाब' का यह आन्दोलन बहुत लोकप्रिय एवं प्रभावी रहा है। इसी क्रम में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सन् 2002 में ग्राम पंचायतों में पीला बोर्ड लगाना अनिवार्य किया जिसमें विगत पांच वर्षों में स्वीकृत एवं क्रियान्वित हुए निर्माण कार्यों का ब्यौरा ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर पेंट से लिखवाया गया। इसी प्रकार 14 दिसम्बर, 2002 को 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' एवं 'परिवर्तन' संस्था द्वारा नई दिल्ली के उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र सुन्दरनगरी में आयोजित हुई जन सुनवाई के द्वारा दिल्ली नगर निगम के नगरीय विकास कार्यों की पोल खोली गई। 'अब आयी परिवर्तन की आंधी' नाम से चर्चित इस जन सुनवाई के पश्चात् महानगरों में भी सामाजिक अंकेक्षण का महत्व समझा जाने लगा। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन के साथ–साथ इंटरनेट एवं ई.गवर्नेंस प्रयासों से सामाजिक अंकेक्षण को अधिक मान्यता मिलने लगी।

भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वह प्रथम राष्ट्रीय कानून है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् एवं पूर्ण मनोयोग से स्वीकार किया गया है। पारदर्शिता,

जवाबदेयता और विकास को सार्थक सिद्ध करने के लिए इस योजना में सभी मस्टररोल वेबसाइट पर डालकर क्रांतिकारी शुरुआत की गई। भारत में सरकारी–स्तर पर यह ऐसा प्रथम सबसे बड़ा प्रयास था जिसने जवाबदेयता एवं पारदर्शिता के साथ–साथ सामाजिक अंकेक्षण को नई बुलन्दियां प्रदान की। सन् 2007 में दिल्ली राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव एस. रघुनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई 'सामाजिक अंकेक्षण समिति' की रिपोर्ट के पश्चात् इस दिशा में कई कदम उठाए गए। सरकारी प्रयासों के साथ–साथ कॉरपोरेट क्षेत्र ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए हैं। इसमें टाटा स्टील तथा डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज का नाम प्रमुख है। टाटा स्टील द्वारा सन् 1980 से दस वर्ष पश्चात् जारी की जाने वाली 'सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट' में उनके कार्मिकों, शेयरधारकों, सम्बन्धित संगठनों और सामाजिक सरोकारों का व्यापक विवरण दिया जाता है।

रतन टाटा कहते हैं– "हमारा ध्यान केवल अपने उपक्रम या कार्मिकों की भलाई में ही नहीं है बल्कि हम समाज एवं राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व से भी परिचित हैं।"

सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ

सामाजिक अंकेक्षण एक सर्वव्यापी किन्तु विवादास्पद शब्द है जिसके अर्थ को स्पष्ट करने हेतु तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं–

- परम्परागत रूप से सामाजिक अंकेक्षण किसी उद्योग या कम्पनी के सामाजिक दायित्वों, उपक्रम के उत्पादन से समाज पर पड़े प्रभाव तथा उद्यम की सामाजिक जवाबदेयता का प्रतीक है।
- कल्याणकारी राज्य एवं विकास प्रशासन के संदर्भ में यह विकास कार्यों विशेषतः सामाजिक विकास कार्यक्रमों से समाज पर पड़े प्रभाव या उन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का परिचायक है।
- भारत में लोकप्रिय या प्रचलित आधुनिक अर्थ में यह सरकारी कार्यों का जनता द्वारा निरीक्षण, समीक्षा, मूल्यांकन तथा निगरानी को बताता है।

"इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण किसी संगठन के सामाजिक एवं नैतिक निष्पादन को मापने, समझने, रिपोर्टिंग करने और अंततः उसके कार्यकरण में सुधार लाने की पद्धति है।"

- यह एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है जो संगठन उपक्रम या तंत्र का सामाजिक संदर्भों में विश्लेषण करती है।
- यह एक लोकतांत्रिक पद्धति है जो संगठन तथा समाज के अंर्तसम्बन्धों को महत्वपूर्ण मानती है।
- सामाजिक अंकेक्षण किसी भी संगठन के लक्ष्य या उद्देश्यों तथा वास्तविकता के मध्य की खाई को कम करता है।
- यह संगठन की क्षमता तथा प्रभावशीलता के मध्य अन्तराल को भी बांटता है।
- यह संगठन से सम्बन्धित व्यक्तियों, वर्गों या संगठनों को वह मंच प्रदान करता है जहां से सुशासन की राह निकल सकती है।
- यह सामाजिक–स्तर पर शक्तिविहीन एवं उपेक्षित व्यक्तियों को सशक्तिकरण प्रदान करता है।
- सामाजिक अंकेक्षण लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेयता तथा संवेदनशीलता लाने की प्रभावी पद्धति है।
- यह वह आधुनिक अवधारणा है जो जनता द्वारा सरकारी व्यय के हिसाब–किताब मांगने के साथ–साथ उसकी उपादेयता एवं प्रभाव का विश्लेषण करती है।
- सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से शासकीय तंत्र के निर्णयन और नीति निर्माण में जनसहभागिता को प्रविष्टि मिलती है।
- प्रमुख रूप से सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय विकास को अंकेक्षण का मुद्दा बनाया जाता है अर्थात् इसकी प्रक्रिया एवं प्रविधि स्थानीय संदर्भों में प्रयुक्त की जाती है।
- सामाजिक अंकेक्षण अन्य प्रचलित अंकेक्षणों की भांति 'दण्डात्मक' नहीं है। हां, इसके परिणामों के पश्चात् प्रचलित अंकेक्षण भी हो सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण का महत्व एवं उद्देश्य

सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में टाटा स्टील द्वारा जारी की गई तीसरी रिपोर्ट (2002) में कहा गया है– "बदली हुई परिस्थितियों में जो तेजी से स्वयं को नहीं बदलता है उसका अंत निश्चित है।"

इस प्रकार यह कथन उस प्रवृत्ति को बता रहा है जो प्रत्येक व्यवस्था की निरन्तरता एवं समयानुकूलता के लिए आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी समसामयिक प्रवृत्ति है जो सुशासन पर केन्द्रित है।

- स्थानीय विकास की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के भौतिक एवं वित्तीय असन्तुलन का अनुमान लगाना।
- स्थानीय सामाजिक एवं उत्पादन सेवा प्रदानकर्ताओं एवं प्राप्तकर्ताओं (लाभार्थियों)में चेतना जागृत करना।
- स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करना।
- योजना या कार्यक्रमों से सम्बन्धित व्यक्तियों विशेषतः निर्धन व्यक्तियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए नीति निर्णयों की छंटनी करना।
- जन सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकने वाले व्यक्तियों के लिए अवसर लागत का अनुमान लगाना।

- सेवा प्रदाता या विकासकर्ता तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता लाना।
- लोकतांत्रिक एवं सुशासन के मूल्यों की स्थापना करना।

सामाजिक अंकेक्षण के साधन एवं प्रक्रिया

- जनसभा में खुली सुनवाई; सूचना का अधिकार; नागरिक अधिकार–पत्र; सूचनापट्ट (जैसे राजस्थान में पीला बोर्ड); वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गई सूचनाएं; मीडिया के माध्यम से सूचना प्रकाशन या प्रसारण; संगठन के प्रकाशन; शोध एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन; दूरसंवेदी उपग्रह से प्राप्त सूचनाएं; अंकेक्षण प्रतिवेदन; कार्य का प्रत्यक्ष अवलोकन; लाभार्थियों से साक्षात्कार; स्वैच्छिक संगठनों के अभियान।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया

- स्थानीय निकायों या संगठनों के लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली स्पष्ट करनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा इसके अनुसरण में बनी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान किए गए हैं।
- इसके पश्चात् सम्बन्धित परियोजना या कार्य से सम्बन्धित समस्त पक्षों, वर्गों या व्यक्तियों की व्यापक पहचान की जानी चाहिए।
- अगले चरण में निष्पादन मानकों या सूचकांकों का चिन्हीकरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक परियोजना के लिए ये मापदण्ड भिन्न–भिन्न हो सकते हैं।
- इसके पश्चात् सामुदायिक–स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों, अकादमिक संस्थाओं, मीडिया, शोधार्थियों तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं सहित सभी जागरूक व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से जुड़ने का आह्वान किया जाना चाहिए।
- अगले चरण में 'सामाजिक अंकेक्षण' किया जा सकता है। इस हेतु खुली जनसभा या रिकॉर्ड की निरीक्षण पद्धति अपनायी जाए उसका पूर्ण मनोयोग एवं निष्पक्षता से संचालन किया जाए।
- इसके पश्चात् 'सामाजिक अंकेक्षण' के निष्कर्षों या परिणामों के पश्चात् संगठन या सम्बन्धित प्रशासनिक तंत्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इसका अनुसरण होना चाहिए। अनेक पक्षों से आए व्यावहारिक सुझावों का क्रियान्वयन होना चाहिए।
- इस चरण में सामुदायिक स्तर पर निष्पक्ष, विश्वसनीय, तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त पारदर्शी तथा गैर–राजनीतिक का एक 'दल' सामाजिक अंकेक्षण के अन्तिम निष्कर्ष का विश्लेषण कर आम व्यक्ति या लाभार्थियों तक वास्तविक रूप से प्रेषित करें।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु सामयिक प्रयास

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अनुसार

- *ग्रामसभा* ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेगी।
- *ग्रामसभा* ग्राम पंचायत के भीतर आरम्भ की गई योजना के अधीन सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी।
- ग्राम पंचायत सभी सुसंगत दस्तावेज जिसके अन्तर्गत मस्टररोल, बिल वाउचर, पुस्तिकाएं, स्वीकृत आदेशों की प्रतियां और अन्य सम्बन्धित लेखा बहियां तथा कागज पत्र हैं, 'सामाजिक अंकेक्षण' करने के लिए ग्रामसभा को उपलब्ध कराएगी।
- 'मनरेगा' की धारा 19 यह प्रावधान करती है कि–"राज्य सरकार, योजना के क्रियान्वयन के क्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य के निस्तारण के लिए, नियमों द्वारा खण्ड–स्तर एवं जिला–स्तर पर समुचित तंत्र निश्चित करेगी और ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
- धारा 23 (अ) में प्रावधान है कि – "राज्य सरकार, नियमों द्वारा योजनाओं और योजनाओं के अधीन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए और योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी।"
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निम्न आवश्यक तत्वों को शामिल किया गया है।
- लाभार्थियों का पंजीकरण
- जॉबकार्ड का निर्गमन एवं उसमें अद्यतन प्रविष्टियां
- कार्य चाहने वाले आवेदनों–पत्रों की पावती
- परियोजनाओं का चयन
- कार्यों का क्रियान्वयन
- प्रमुख दस्तावेजों का संधारण
- पारिश्रमिक भुगतान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में 'जिला कार्यक्रम समन्वयक' को सामाजिक अंकेक्षण को क्रियान्वित करवाने तथा इस पर पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही वृत्त खण्ड एवं जिला स्तर पर भी रखे जाते हैं।

**(लेखक लोक प्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शोधार्थी हैं।)**
ई–मेल : rakesh.kumar8475@yahoo.com

विद्युत परियोजनाएं ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ

डॉ. शशीकांत शुक्ला

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। उद्योग, परिवहन, कृषि, आदि सभी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के बिना विकास संभव नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सभी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे आज प्रत्येक क्षेत्र में विकास को देखा जा सकता है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यदि कोई घटक महत्वपूर्ण है तो वह विद्युत शक्ति। यह उद्योगों के लिए एक आवश्यक तत्व है। खेती के आधुनिकीकरण के लिए भी एक आवश्यक इनपुट है। ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए भी एक आवश्यक घटक है। देश की अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बाकी है जिसमें विद्युत शक्ति की आवश्यकता न पड़ती हो। पीने के पानी के लिए, परिवहन साधनों को चलाने के लिए, उद्योगों के लिए, संचार सुविधाओं के लिए, घरों में व सड़कों पर रोशनी के लिए आदि सभी कार्यों के लिए विद्युत की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है।

विश्व के विकसित देशों की तीव्र उन्नति का रहस्य भी विद्युत उत्पादन ही है। सामाजिक परिवर्तन भी इसके विकास द्वारा ही लाए जा सकते हैं। इन्ही कारणों की वजह से प्रत्येक देश अपना आर्थिक नियोजन करते समय विद्युत पर ही सबसे अधिक ध्यान देता है। विद्युत का उत्पादन पानी, कोयला, डीजल, परमाणु शक्ति से होता है।

भारत में बिजली का विकास 19वीं सदी कें अंत में शुरू हुआ। सन् 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति शुरू हुई और उसके बाद सन 1902 में कर्नाटक में शिवसमुद्रम में पनबिजली केंद्र काम करने लगा। स्वतंत्रता से पहले बिजली की आपूर्ति मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। देश में बिजली के विकास का काम विद्युत मंत्रालय देखता है। मंत्रालय का काम भावी योजनाएं तैयार करना, नीतियां निर्धारित करना, निवेश संबंधी फैसलों के लिए परियोजनाओं का चयन करना, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी

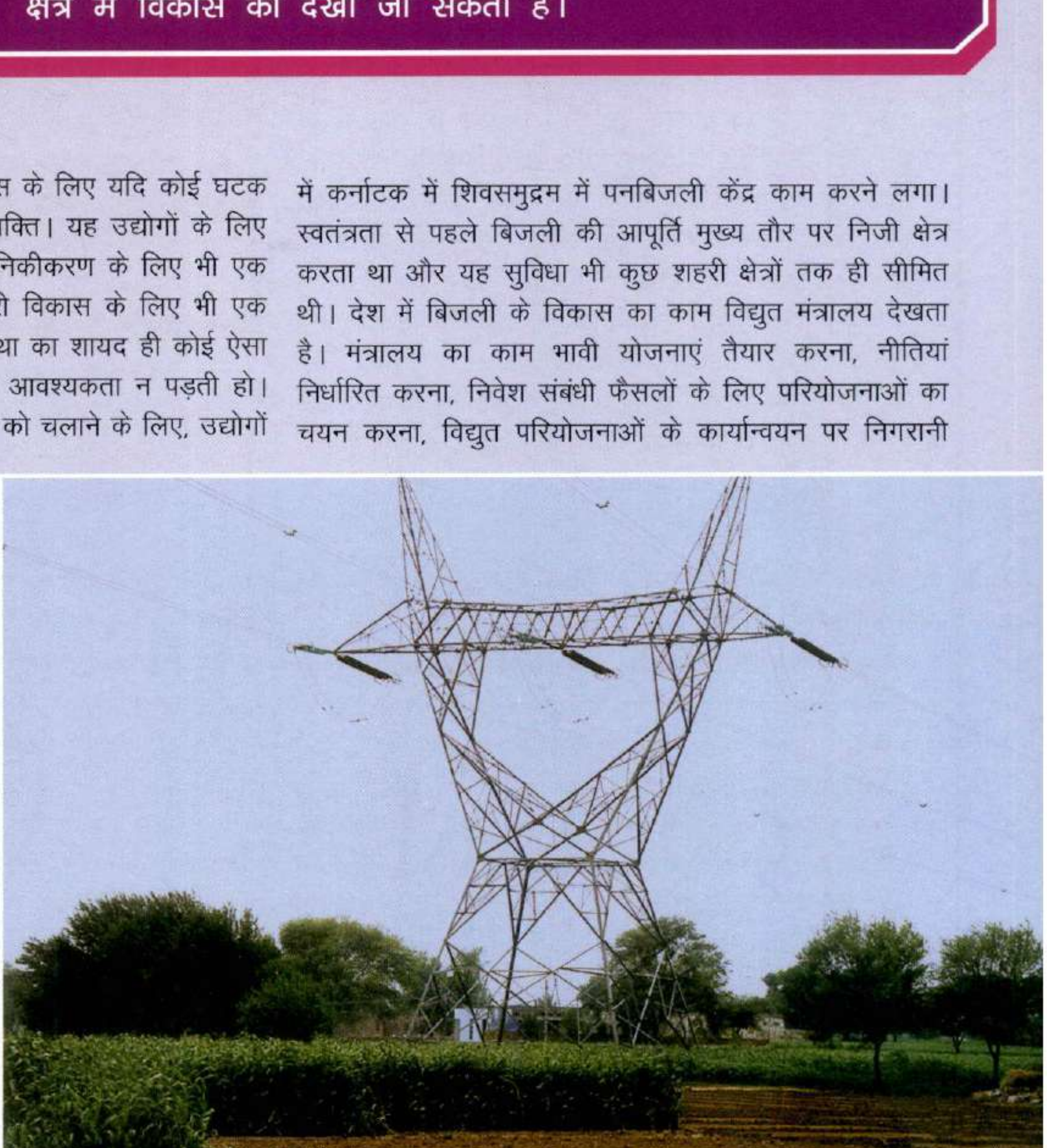

रखना तथा प्रशिक्षण और श्रमशक्ति के विकास के साथ ही जल और ताप बिजली के उत्पादन, प्रेषण और वितरण से जुड़े कानून बनाना और उन्हें लागू करना। सभी तकनीकी और आर्थिक मामलों में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, बिजली मंत्रालय की सहायता करता है।

पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न चरणों में राज्य बिजली बोर्डों का गठन देशभर में बिजली आपूर्ति उद्योग के सुव्यवस्थित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अनेक परियोजनाएं आरंभ हुई और ताप, जल और परमाणु ऊर्जा घरों की स्थापना के बाद से बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

बिजली की उत्पादन क्षमता – भारत में पिछले 57 वर्षों में बिजली की उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1950–51 में देश में बिजली उत्पादन क्षमता 2300 मेगावाट थी जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर 4620 मेगावाट हो गई।

अनुमानित विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एक लाख मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। दसवीं योजना में लगभग 41.110 मेगावाट क्षमता का निर्माण किया गया तथा शेष क्षमता को ग्यारहवीं योजना के दौरान पूर्ण किया जिसमें मुख्य ध्यान पनबिजली पर दिया गया। दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र का योगदान 22832 मेगावाट, राज्य क्षेत्र का 11157 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र का 7121 मेगावाट रहा। जून 2001 के बाद दाभोल विद्युत परियोजना से पुनरुद्धार की प्रक्रिया 2005 में आरंभ हुई। 15 मई, 2006 से दाभोल विद्युत परियोजना का ब्लॉक 11 शुरू हो चुका है।

भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड)

भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड को 23 अक्टूबर, 1989 को विभिन्न क्षेत्रों के भीतर तथा बीच बिजली के हस्तांतरण के लिए क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना एवं उसका संचालन करने हेतु सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में गठित किया गया था। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की लघु रत्न श्रेणी–I कम्पनी के रूप में मान्यता है। वर्तमान में उत्पादित बिजली के लगभग 45 प्रतिशत को पी.जी.सी.आई.एल. पारेषण नेटवर्क को सौंप दिया जाता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड – ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराना है। आर.ई.सी का वर्तमान लक्ष्य ग्रामीण एवं अर्ध–नगरीय जनसंख्या के त्वरित विकास एवं जीवन–स्तर में सुधार के लिए देश में बिजली के उत्पादन, बिजली की बचत, ट्रांसमिशन तथा इसकी वितरण प्रणाली के लिए परियोजनाओं को बढ़ावा देना एवं उनको वित्तीय सहायता करने वाले एक प्रतियोगी पर्यावरण अनुकूल एवं विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना है।

विद्युत शक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग – भारत में विद्युत शक्ति का प्रयोग उद्योग, परिवहन, कृषि तथा घरेलू उपयोग में किया जाता हैं। भारत में इन सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रयोग का तुलनात्मक विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है।

तालिका–1

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विद्युतशक्ति का प्रयोग

क्षेत्र	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2006-07
घरेलू	12.6	10.7	8.8	11.2	16.8	24.3
वाणिज्यिक	7.5	6.1	5.9	5.7	5.9	8.7
उद्योग	62.6	69.4	67.6	58.4	44.2	37.8
कर्षण	7.4	3.3	3.2	2.7	2.2	2.3
कृषि	3.9	6.0	10.2	17.5	26.4	21.9
अन्य	6.0	4.5	4.3	4.4	4.5	5.0

स्रोत – आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 2007–2008 **पृष्ठ ए–29**

तालिका–1 से एक स्पष्ट है कि ऊर्जा का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में क्रमशः तेजी से बढ़ रहा है। जहां वर्ष 1950–51 में कृषि के क्षेत्र में केवल 3 प्रतिशत विद्युत शक्ति का प्रयोग होता था, बढ़कर 1990–91 में 26.4 प्रतिशत हो गया था तथा 2006–07 में लगभग 22 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में घरेलू क्षेत्र में भी विद्युतशक्ति का उपयोग 12.6 प्रतिशत से बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत उद्योग क्षेत्र में सन् 1950–51 में जहां 62.6 प्रतिशत विद्युत शक्ति का प्रयोग होता था घट कर 2006–07 में 37.8 प्रतिशत रह गया। स्पष्ट है कि पिछले 57 वर्षों में विद्युत शक्ति का उपयोग कृषि एवं घरेलू क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। इस वृद्धि के पीछे मूल कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण है जिससे गांव–गांव एवं खेत–खेत में विद्युतशक्ति को उपलब्ध कराया गया।

भारत में विद्युत उत्पादन – विद्युत का उत्पादन तीन प्रमुख रूपों में होता है। जल विद्युत–तापीय विद्युत एवं अणु विद्युत। तीनों प्रकार की विद्युत का उत्पादन केन्द्रीय तथा राज्यीय दोनों क्षेत्रों में होता है। 1991 के सुधारों के बाद निजी क्षेत्र में भी विद्युत उत्पादन होता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2000–01 में कुल 499.6 बिलियन किलोवाट तथा 2006–07 में

तालिका–2 भारत में विद्युत उत्पादन

वर्ष	उत्पादन के स्रोत (बिलियन किलोवाट)							
	पनबिजली		तापीय बिजली		आणविक बिजली		कुल	
	उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत
1950–51	2.5	49.0	2.0	51.0	-	-	5.1	100.00
1960–61	7.8	47.1	9.1	53.9	-	-	16.9	100.00
1970–71	25.2	45.2	28.2	50.5	2.4	4.3	55.8	100.00
1980–81	46.5	42.0	61.3	55.3	3.0	2.7	110.8	100.00
1990–91	71.7	27.1	27.1	70.6	6.1	2.3	264.3	100.00
2000–01	74.5	14.9	14.9	81.7	16.9	3.4	499.5	100.00
2006–07	113.4	16.9	16.9	80.3	18.6	2.8	667.5	100.00

स्रोत – आर्थिक समीक्षा 2007–08 पृष्ठ ए – 27

667.5 बिलियन किलोवाट विद्युत का उत्पादन हुआ। विद्युत उत्पादन का तुलनात्मक विवरण तालिका–2 में दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि देश का विद्युत उत्पादन जहां 1950–51 में केवल 501 बिलियन किलोवाट था। बढ़कर 1980–81 में 110.8 बिलियन किलोवाट, 2000–01 में 499.5 बिलियन किलोवाट तथ 2006–07 में 667.5 बिलियन किलोवाट हो गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुल विद्युत उत्पादन में पनबिजली का योगदान वर्ष 1950–51 में 49 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 1989–81 में 42.90 प्रतिशत एवं 2006–07 में केवल 16.09 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत इसी अवधि में तापीय विद्युतगृहों का योगदन 51 प्रतिशत से बढ़कर 55.3 प्रतिशत एवं 80.3 प्रतिशत हो गया। आणविक विद्युतगृहों से केवल 2.8 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन होता है। उपर्युक्त वितरण से यह स्पष्ट है कि देश में पिछले 57 वर्षों में विद्युत उत्पादन में तेजी से विस्तार हुआ है।

ग्रामीण विद्युतीकरण – भारत की लगभग 73 प्रतिशत आबादी छह लाख गांवों और नगरों में निवास करती है। मंत्रालय इनमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद तथा उपकरण जैसे बायोगैस संयंत्र, सौर थर्मल प्रणाली, फोटोवेल्टिक उपकरण, बायोमॉस गैसीफायर के प्रयोग के लिए कार्यक्रमों को सहायता दे रहा है।

दसवीं योजना के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं तथा बायोगैस विद्युत उत्पादन शुरू किए गए थे। ये कार्यक्रम वर्तमान में भी चल रहे हैं।

दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण – ऐसे दूरस्थ गांव तथा बस्तियां, जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सकता है उन्हें नवीकरण ऊर्जा उपायों द्वारा बिजली उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2001–02 में यह कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि जून 2008 में सम्पन्न इसी की बैठक में निर्णय किया गया कि इन गांवों को सौर उपकरणों के जरिए बिजली उपलब्ध कराने के उपाय अंतरिम हैं तथा ऐसा नहीं है कि इसके बाद इन्हें ग्रिड से नहीं जोडा जाएगा। इसके मद्देनजर एमएनआईई ने सौ से कम जनसंख्या वाले सभी अविद्युतीकृत गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया। आवश्यक बिजली उपलब्ध कराने के जरिए बिजली उपलब्ध कराने के उपाय अंतरिम है तथा ऐसा नहीं है कि इसके बाद इन्हें ग्रिड से नहीं जोड़ा जाएगा। इसके मद्देनजर एमएनआईई ने सौ से कम जनसंख्या वाले सभी अविद्युतीकृत गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया। आवश्यक बिजली उपलब्ध कराने के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें इकहरी/दोहरी लाईट एचएलसी, सेन्ट्रल एसपीवी विद्युत संयंत्र तथा केन्द्रीकृत चार्जिंग स्टेशन सहित सोलर लालटेन शामिल हैं। अन्य विकल्प माइक्रोमनी हाइडल प्लांट, बायोमॉस गैसीफायर और एयरोजेनेरटर/हाइब्रिड संयंत्र होंगे। वर्ष 2012 तक दस हजार दूरस्थ गांवों के 10 लाख आवासों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युतीकरण हेतु अनुमोदित परियोजना के लिए परियोजना लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के अतिरिक्त जागरुकता फैलाने, प्रशिक्षण सर्वे आदि के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों में यह कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे नवीकरण ऊर्जा

हेतु राज्य नोडल एजेंसी, विद्युत विभाग या वन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।

विद्युत अधिनियम 2003 – विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान 10 जून, 2003 से प्रभावी किए गए हैं। बिजली अधिनियम 2003 के लागू होने से भारतीय बिजली अधिनियम 1910, बिजली अधिनियम 1949 तथा बिजली नियामक आयोग अधिनियम 1988 निरस्त हो गए हैं। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं–

- बिजली उत्पादन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और निजी प्रतिष्ठानों को अपने उपयोग के लिए उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है लेकिन पनबिजली परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति लेनी पड़ेगी।
- ग्रामीण इलाकों में उत्पादन और वितरण के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
- केन्द्र और राज्य सरकार पर पारेषण उपयोगिता एक सरकारी कम्पनी होगी। इस पर पारेषण नेटवर्क के नियोजित व समन्वित विकास की जिम्मेदारी होगी।
- पारेषण में सभी को अधिकार सरचार्ज की व्यवस्था के साथ होंगे ताकि वर्तमान स्तर पर क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था जारी रहे लेकिन अंततः सरचार्ज समाप्त कर दिया जाएगा।
- वितरण लाइसेंसधारक उत्पादन का काम करने और उत्पादन कपनियां वितरण करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाएं		
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	1975	ताप विद्युतगृहों की योजना बनाना, इनको प्रोत्साहन देना और उनका समन्वित विकास करना। इसे नवरत्न कम्पनी का दर्जा दिया गया। इसने 314 मेगावाट क्षमता सेल के साथ संयुक्त गठबंधन पर प्राप्त किया है।
राष्ट्रीय पनबिजली निगम	1975	केन्द्रीय क्षेत्र पर जलविद्युत के समन्वित विकास की योजना बनाना तथा उनको प्रोत्साहन देना जिसमें नदी घाटी अध्ययन जल विद्युत गृहों की जांच अनुसंधान, डिजाइन, निर्माण व प्रबंध सम्मिलित। भारत में जल विद्युत विकास की सबसे बडी संस्था।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	1969	देश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराना।
भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	1999	बिजली की मेगा परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान		विद्युत क्षेत्र में मानव विकास की शीर्ष संस्था।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	2002	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र ढांचे के अंतर्गत नीतियां और कार्य प्रणालियां विकसित करना ताकि ऊर्जा सघनता में कमी लाई जा सके।
भारतीय गैर प्राधिकरण लिमिटेड	1984	प्राकृतिक गैस का परिवहन, वितरण और विपणन करना।
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	1956	तेल की खोज एवं उसके उत्पादन मे कार्य में सहायता।
भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड	1989	ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रों के भीतर और क्षेत्रों के बीच विश्वसनीय, सुरक्षित एवं कम लागत पर बिजली के हस्तांतरण के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	1964	तेलशोधन ग्राहकों को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना, संभावित वैकल्पिक ईंधनों के उत्पादन और उनके उपयोग की संभावना की पता लगाना।
ऑयल इंडिया लिमिटेड	1959	कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन तथा परिवहन करना।
सतलुज जल विद्युत निगम	1988	विशेष नदी क्षेत्र में जलविद्युत संभावना का विकास।
टिहरी पनबिजली विकास निगम	1988	खास नदी घाटी में जलविद्युत क्षमता का विकास।
ऊर्जा वित्त निगम	1986	ऊर्जा विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था।
उत्तर–पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	1976	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विद्युत शक्ति के विकास का उद्देश्य।
दामोदर घाटी निगम	1948	विशेष क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन परिवहन एवं वितरण।
भाखड़ा विद्युत प्रबंध बोर्ड	1967	बोर्ड के अंतर्गत ऊर्जा प्रोजेक्ट का प्रशासन, संचालन एवं व्यवस्था करना।

- राज्य सरकारों को बिजली बोर्डों का निगमीकरण करना होगा। लेकिन वे वितरण लाइसेंसधारक और राज्य पारेषण सेवा के रूप में इसे जारी रख सकते हैं।
- बिजली की आपूर्ति मीटर से करने को अनिवार्य बनाया गया है।
- बिजली की चोरी से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा किया गया है।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उत्पादन और वितरण के लिए अगली प्रणाली की अनुमति दी गई है।
- पंचायतों, सरकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य अधिकृत संगठनों द्वारा पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण वितरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने पर जोर दिया गया है।
- केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति तैयार करेगी।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा।

सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम – केन्द्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य देश के उन गांवों को नवीनीकरण ऊर्जा के जरिए रोशनी विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान करना है, जहां तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से निकट भविष्य में ग्रिड पहुंच सकेंगे। मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल व्यय का 90 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना – ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी आधारभूत ढांचे और घरों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2004 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरू की गई। इसमें पांच साल में सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।

- प्रत्येक विकासखण्ड में राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली से समुचित रूप से संबद्ध 31/11 किलोवाट लाइन पर आधारित ग्रामीण विद्युत वितरण आधार तंत्र का निर्माण।
- बिजली से वंचित सभी गांवों/बस्तियों के लिए ग्राम विद्युत अवसंरचना का निर्माण तथा हर गांव/बस्ती में उपर्युक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मरों की व्यवस्था।
- ऐसे गांव/ बस्तियों के लिए जहां ग्रिड से विद्युत आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बिजली उपलब्ध नहीं करा रहा है, वहां परम्परागत स्रोतों से बिजली के विकेन्द्रीय स्वतंत्र उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था करना शामिल है। इस योजना में अन्य बातों के अलावा कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अनुसार सभी ग्रामीण बस्तियों में 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी से गरीबी रेखा के नीचे के सभी बिजलीरहित आवासों के विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना पूंजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए तभी होगी जब राज्य सरकार पहले वादा करेगी। इसके बाद ही ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार को यह वादा करना होगा।
- इस योजना के तहत वित्तपोषित ग्राम विद्युत वितरण परियोजना के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजी की व्यवस्था की जाएगी।
- विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य विद्युत संगठनों को आवश्यक राजस्व सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य को भी बिजली आपूर्ति का काफी इंतजाम करना होगा तथा शहरी व ग्रामीण घरों में बिजली आपूर्ति के घंटों मे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस दिशा में ग्रामीण विकास का आधारभूत ढांचा विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है।

(लेखक सर हरिसिंह गौर महाविद्यालय, लक्ष्मीपुरा, सागर, मध्य प्रदेश में अर्थशास्त्र विभाग में प्राध्यापक हैं।)

सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा ग्रामीण विकास

सविता कुमारी

पुरा योजना का मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए आजीविका अवसर और शहरी सुविधाएं मुहैया कराकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी फ्रेमवर्क के द्वारा ग्राम पंचायतों में संभावित विकास केन्द्र के चारों ओर सघन क्षेत्र का व्यापक एवं त्वरित विकास करना है। पुरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11वीं योजना की अवधि के दौरान "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)" नामक योजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः शुरू किया है। इस योजना के कार्यक्षेत्र में चुनिंदा

पंचायतों/पंचायतों के समूहों में निर्धारित सेवा-स्तरों तक जीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करना शामिल है जो 10 वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त सुविधाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। समुदाय-आधारित आधारभूत सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबंधन में अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र का चयन उचित योग्यताओं एवं मूल्यांकन मानदंड पर आधारित खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चयनित निजी क्षेत्र भागीदार को जल आपूर्ति एवं जल-निकासी, सड़कों, नालियों, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन, सड़क रोशनी तथा विद्युत वितरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और पुरा परियोजना के एक भाग के रूप में कुछ आर्थिक एवं कौशल विकास कार्यकलाप निष्पादित करने होंगे। निजी क्षेत्र भागीदारों द्वारा उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा ग्रामोन्मुख पर्यटन, एकीकृत ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण–

बाजार, कृषि संबंधी सेवा केन्द्र तथा गोदाम आदि जैसी राजस्व अर्जक ''अतिरिक्त'' सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से जीवनयापन के लिए आजीविका अवसरों, आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं की कमी की वजह से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का पलायन होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वास्तविक और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में काफी अंतर है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का एक वृहद् मिशन शुरू करके ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने का विज़न उजागर किया। गणतंत्र दिवस, 2003 के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते समय डॉ. कलाम ने चार प्रकार का संपर्क मुहैया कराने की बात कही–वास्तविक सम्पर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क, ज्ञान संपर्क तथा ज्ञान संपर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक संपर्क। पुरा की परिकल्पना सेवा सुपुर्दगी के स्व–सतत् एवं व्यवहार्य मॉडल के रूप में की गई थी, जिसका प्रबंधन स्थानीय लोगों, जन प्राधिकरणों और निजी क्षेत्रों के बीच कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाना था। सरकारी सहायता सही किस्म की प्रबंधकीय संरचना तलाशने के रूप में होगी ताकि ग्रामीण आधारभूत सुविधा का विकास एवं रखरखाव किया जा सके। ऐसे प्रबंधकीय ढांचों को अधिकार सम्पन्न बनाया जा सके और शुरुआत में आर्थिक सहायता दी जा सके। बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त, 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने भाषण में पुरा योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वासमठ (महाराष्ट्र), भरथना (उत्तर प्रदेश), गोहपुर (असम), कुजंगा (उड़ीसा), मोतीपुर (बिहार), रायदुर्ग (आन्ध्र प्रदेश) और शाहपुरा (राजस्थान) में सात प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा कराए गए इन प्रायोगिक परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन से सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता, मुख्य आर्थिक क्रियाकलापों के साथ आधारभूत सुविधा विकास और आजीविका सृजन को बढ़ाने की जरूरत, संभावित विकास के आधार पर परियोजना स्थल के चयन की जरूरत और ग्रामीण विकास या अन्य विभागों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की जरूरत का पता चला था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों, विभिन्न मंत्रालयों की टिप्पणियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श के दौरान प्राप्त जानकारी तथा एशियाई विकास बैंक के तकनीकी परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर इस योजना को नए सिरे से बनाया गया है, जिसका 11वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में कार्यान्वयन किया जाएगा।

कार्यनीति

सार्वजनिक–निजी भागीदारी – पुरा के उद्देश्यों को ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक– निजी भागीदारी के फ्रेमवर्क के तहत हासिल करने का प्रस्ताव है। पुरा की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना से निधियों का बड़ा हिस्सा लिया जाएगा तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तालमेल के जरिए अतिरिक्त सहायता जुटाई जाएगी। निजी क्षेत्र भी संचालनात्मक सुविज्ञता के अलावा निवेश में उनके हिस्से को सामने रखेंगे। आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार–विमर्श करने के बाद इस योजना का कार्यान्वयन एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा किन्तु इस योजना की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाएगी कि इससे ग्रामीण विकास के समग्र उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। निजी क्षेत्र को आकृष्ट करने के लिए ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जो सुस्पष्ट जोखिमों को कम करने वाले निर्धारित उपाय होंगे और जोखिम का वहन प्रायोजक प्राधिकरण (ग्राम पंचायत), भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी भागीदार करेंगे।

प्रायोगिक परीक्षण और इसका विस्तार : प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए इस योजना की मुख्य विशेषताओं का उस आधार पर परीक्षण किया जाएगा जो भविष्य में इन परीक्षणों को बढ़ाने की सीख देंगे। इसके अलावा, समस्त प्रक्रिया से ग्राम पंचायत की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी ताकि वे सार्वजनिक–निजी भागीदारी की व्यवहार्यता का प्रायोगिक परीक्षण करने में मदद कर सकें। इन प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा ताकि भविष्य में इसका विस्तार किया जा सके।

निर्धारित आधारभूत और शहरी सुविधाएं

पुरा के अंतर्गत दी जाने वाली आधारभूत एवं शहरी सुविधाएं तथा प्रस्तावित आर्थिक क्रियाकलाप निम्न प्रकार हैं :–

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं : निजी भागीदार ग्रामीण विकास मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत जल और सीवरेज, ग्रामीण गलियों का निर्माण एवं रखरखाव, जल–निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास और आर्थिक क्रियाकलापों का विकास जैसी सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे जैसे स्वर्णजयंती ग्राम

स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेजलय कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान आदि।

गैर–ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं : पुरा के अन्य मंत्रालयों की वे योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं जोकि "तैयार"' रूप में उपलब्ध हैं क्योंकि परियोजना के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि ग्रामीण विकास मंत्रालय के दायरे में नहीं आते हैं। प्राइवेट डेवेलपर सम्बद्ध गैर–ग्रामीण विकास मंत्रालयों की ऐसी योजनाओं के तहत सहायता मांगेंगे और अभिज्ञात शहरी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से पुरा में इसका उपयोग करेंगे।

एड ऑन परियोजनाएं : यह आवश्यक हो जाता है कि प्राइवेट डेवेल्पर्स मुहैया कराई जाने वाली शहरी सुविधाओं की सूची में एड ऑन किस्म की "वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य" और जनकेन्द्रित परियोजनाओं की एक सूची शामिल करें। परियोजना के सभी अवयवों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई एड ऑन परियोजनाएं निष्पादन–गांरटी के उद्देश्य से आवश्यक हो जाती हैं। इस प्रकार की एड ऑन परियोजनाओं से आर्थिक और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे और इन्हें अधिमानतः ग्राम पंचायत की सहभागिता से तैयार किया जाएगा और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ इनको भी शामिल किया जाएगा :–

ग्राम पर्यटन परियोजनाएं : ये स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराएंगी और स्थानीय कामगारों, काम करने वाले कलाकारों इत्यादि को आय के अवसर मुहैया कराएंगी।

अच्छे कौशल विकास वाले संस्थान की स्थापना करना : इसको परियोजना में शुरू की गई आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ा जाएगा।

समेकित ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र : इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को वाणिज्यिक–स्तर तक विकसित करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के सृजन एवं रखरखाव के लिए निजी पूंजी एवं प्रबंधकीय सुविज्ञता के साथ सार्वजनिक निधियों की व्यवस्था करना पुरा योजना का मूल उद्देश्य है।

वित्तपोषण : पुरा योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण चार स्रोतों से मिल सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं, गैर–ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं, निजी वित्तपोषण और पुरा के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं : चूंकि पुरा योजना में परिसंपत्तियों के दीर्घावधि रखरखाव के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल और स्थायी फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है, इसलिए अधिकांश पूंजीगत व्यय सरकारी योजनाओं से मिलने चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सुपुर्दगी में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य रूप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं अर्थात् स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान इत्यादि को पुरा परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा। केवल सामुदायिक विकास योजनाओं को साधारण रूप से शामिल किया जाएगा, क्योंकि निजी भागीदारों का वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं का प्रबंधन करने में कठिनाई होगी। ऐसी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में बहुप्रयोज्य प्रावधान किए जाएंगे ताकि इन्हें पंचायतों या सरकारी विभागों के अलावा निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी जा सके। पंचायत या सरकारी विभाग के लिए ग्राही के रूप में, डेवलेपर निर्धारित योजनाओं के जरिए निधियां प्राप्त करेंगे। कार्यान्वयन संबंधित योजना को दिशा–निर्देशों के अधीन किया जाएगा। तथापि, सेवा मानक जहां तक संभव हो सके, शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित सेवा मानकों के समान रखे जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के साथ तालमेल के विशिष्ट मामले में, एन.आर.ई.जी. एस. के अंतर्गत केवल ऐसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनकी महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी दी गई है। एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत उन क्रियाकलापों के लिए शारीरिक और अकुशल कार्य करने के प्रयास किए जाएंगे, जो पुरा परियोजनाओं और मनरेगा, 2005 के क्रियाकलापों की अनुमेय सूची के लिए एक समान हों। ग्राम पंचायतों से मनरेगा जॉबकार्डधारकों के निर्धारित तंत्र के जरिए एन.आर.ई.जी.एस. निधियों से ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। एन.आर.ई.जी.एस. के जरिए किए गए ऐसे कार्य पुरा के अंतर्गत परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होंगे।

गैर–ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं : निजी भागीदार अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के अंतर्गत, ऐसी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार कतिपय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वैकल्पिक तौर पर, संबंधित मंत्रालय डी.आर.डी.ए. के जरिए इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करा सकता है।

निजी वित्तपोषण : यह संभव है कि अनिवार्य आधारभूत सुविधाओं का वित्तपोषण पूरी तरह सरकारी योजनाओं द्वारा न हो

सके जिसमें डेवलेपर ऐसी आधारभूत सुविधाओं का वित्तपोषण करने और संचालन एवं रखरखाव लागतों को पूरा करने के लिए स्वयं कुछ पूंजी का निवेश करेंगे। आधारभूत परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव तथा सेवाओं की व्यवस्था 10 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए होगी। वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एड–ऑन परियोजनाओं का वित्तपोषण पूरी तहर निजी वित्तपोषण के जरिए किया जाएगा।

पुरा के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान : प्राइवेट डेवलेपर को इस बात की छूट दी जाती है कि वह पंचायत के परामर्श से एड–ऑन परियोजनाओं के रूप में उपयुक्त राजस्व सृजन/स्व–स्थायी परियोजनाओं का चयन करें और ऐसी संभावना है कि इससे आधारभूत सुविधाओं की रखरखाव लागत में आंशिक रूप से आर्थिक सहायता मिलेगी। चूंकि डेवलेपर के लिए आमदनी केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत सृजित किए जा सकने वाले राजस्व से प्राप्त होगी और राजस्व आधार कमजोर पड़ता जाएगा, इसलिए पुरा योजना के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था की गई है। ऐसे संभावित अंतर, जो पुरा योजना में अभी तक विद्यमान रह सकते हैं, को पुरा योजना के पूंजीगत अनुदान से पूरा किया जाएगा जिसके तहत परियोजना लागत की 35 प्रतिशत तक की राशि प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

परियोजना लागत

पूंजीगत अनुदान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ परियोजना लागत में (क) कैपेक्स (ख) अनिवार्य आधारभूत सुविधा (शहरी सुविधाएं) का परिचालन व्यय एवं 10 वर्षों की अवधि के लिए एड–ऑन आधारभूत सुविधा, तथा (ग) निजी क्षेत्र के निवेश के लिए निवेश पर होनी वाली आमदनी में कमी शामिल होंगी। प्रत्येक पुरा परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

भूमि

पुरा परियोजनाओं का एक आवश्यक घटक भूमि की उपलब्धता है। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि, ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि अतिरिक्त सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाती है तो संबंधित राजस्व आपसी सहमति से ग्राम पंचायत एवं प्राइवेट डेवलेपर के बीच उपयुक्त अनुपात में विभक्त किया जाएगा और इन सुविधाओं को रियायती अवधि समाप्त होने पर ग्राम पंचायत/राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में उसे प्राइवेट डेवलेपर द्वारा ओपन मार्केट से खरीदा जाएगा, परन्तु उसकी लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। चूंकि पुरा के तहत जीविकोपार्जन अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है, इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अनुमोदित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरा के लिए ग्राम पंचायत/राज्य सरकार से साझी भूमि के अंतरण से स्थानीय निर्धनों की जीविकोपार्जन सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, पुरा ग्रामीण क्षेत्रों में भावी विकास केन्द्र में जीविकोपार्जन एवं शहरी सुविधाओं के सृजन संबंधी प्रक्रिया को आरम्भ करने का प्रयास कर रहा है। अतः पुरा परियोजना का परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के आसपास चल रही आर्थिक परियोजना में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

प्राइवेट डेवलपर का चयन

प्राइवेट डेवलपर का चयन, खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। खुले विज्ञापन के माध्यम से आधारभूमि सुविधाओं का विकास करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों को 'रूचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

कार्यान्वयन

रियायती अवधि के दौरान कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाही योजना का ब्यौरा डीपीआर में दिया जाएगा। प्राइवेट डेवलेपर पुरा की विभिन्न उप परियोजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन कार्रवाई योजना तैयार करेगा, जिसकी निर्माण अवधि अधिकतम तीन वर्ष तथा प्रचालन एवं रखरखाव अवधि वाणिज्यिक प्रचालन या निर्माण पूरा होने की तारीख से दस वर्ष होगी। प्राइवेट डेवलेपर द्वारा कार्य निष्पादन की उपयुक्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना की कार्य अवधि के दौरान कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं उसकी निगरानी के लिए ग्राम पंचायत के पुरा समूह में एक स्वतंत्र इंजीनियर की व्यवस्था की जाएगी।

परियोजना प्रबंधन एवं नियंत्रण

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुरा प्रभाग में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन दल परियोजना जांच एवं निगरानी समिति के मार्गदर्शन में योजना के कार्यान्वयन संबंधी सभी कार्यकलापों की देखरेख करेगा तथा समन्वय कार्य करेगा। एशियाई विकास बैंक नीति–निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय में पीपीपी एकक को सांस्थानिक रूप देने, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा निर्धारित ग्राम पंचायतों के क्षमता निर्माण और प्रायोगिक परियोजनाएं तौर करने हेतु एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता कर रहा है।

पुरा योजना के समय पर मूल्यांकन तथा प्रभाव संबंधी अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रबंधकीय नियंत्रण, रिपोर्टिंग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पद्धतियों की व्यवस्था की जाएगी।

पुरा योजना की सामान्य स्वीकार्यता को बढ़ाने तथा इसमें निहित परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्राम पंचायतों, डीआरडी एजेंसियों तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के साथ–साथ एडीबीटीए कार्यक्रम के भाग के रूप में पहुंच एवं संचार योजना कार्यान्वित की जाएगी।

पूंजीगत अनुदान तथा रिलीज का आकलन

पूंजीगत अनुदान परियोजना लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत होगा तथापि वास्तविक रूप से स्वीकार्य पूंजीगत अनुदान प्रत्येक परियोजना के लिए भिन्न–भिन्न होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अनुमोदित कुल पूंजीगत अनुदान की पूर्ति 248 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय से की जाएगी। इस प्रायोगिक चरण के दौरान पूंजीगत अनुदान का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक पुरा परियोजना की लागत अधिकतम 120 करोड़ रुपये की होगी। प्रत्येक प्रायोगिक परियोजना के लिए आवश्यक पूंजीगत अनुदान की वास्तविक राशि का निर्धारण करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधार होगी। अंतिम रूप से लागत एवं पूंजीगत अनुदान का अनुमोदन, इस प्रयोजन हेतु गठित एवं अंतःमंत्रालयीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी। अनुदान निम्नानुसार चार किस्तों में रिलीज किया जाएगाः

- पहली किस्त (25 प्रतिशत) – रियायत संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होने पर होगा।
- द्वितीय किस्त (25 प्रतिशत) – रियायत समझौते पर हस्ताक्षर के बाद एक वर्ष पूरा होने पर।
- तृतीय किस्त (25 प्रतिशत) – रियायत समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दो वर्ष पूरा होने पर।
- चौथी किस्त (25 प्रतिशत) – डीपीआर में यथा अनुमोदित उप–परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने पर।

निधियों की उपलबधता

ग्रामीण विकास मंत्रालय पूंजीगत अनुदान की स्वीकृत किस्त डीआरडी एजेंसी को रिलीज करेगा जिसे निलंबलेख खाते में रखा जाएगा। इसे स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणन और संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति के बाद अनुमोदित लक्ष्यों के समयबद्ध रूप से पूरा होने पर प्राइवेट डेवलपर को रिलीज किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियों को स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणन एवं संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति के बाद डीआरडीए द्वारा संचालित समान निलंबलेख खाते में रखे जाने के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर को रिलीज किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य मंत्रालय पुरा परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय से इतर परियोजनाओं के लिए उन योजनाओं के तहत निधियां उपलब्ध करा सकते हैं।

ग्राम पंचायत स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणन के एक सप्ताह में अपनी सहमति प्रदान करेगी, ऐसा न किए जाने पर उन्हें उसका कारण बताना होगा। तत्पश्चात् मामला जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो मामले की जांच करके एक सप्ताह में अपना निर्णय देंगे।

परियोजना निदेशक, डीआरडीए संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार डीआरडीए द्वारा निधियों की रिलीज के लिए उत्तरदायी होगा।

प्राइवेट डेवलपर पुरा परियोजना के संदर्भ में सभी प्राप्तियों तथा भुगतान के लिए एक परियोजना निलंबलेख खाते का रखरखाव करेगा।

शिकायत निवारण और विवाद समाधान

स्थानीय स्तर की शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से पुरा परियोजना को कार्यान्वित किए जाने वाले जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा। इसी तरह, जिन शिकायतों के निवारण में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दखल की आवश्यकता हो, उन शिकायतों के निवारण के लिए भी संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा।

जोखिम प्रबंधन

पुरा प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े मुख्य जोखिमों में केन्द्र, सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत अथवा प्राइवेट डेवलपर्स शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में जोखिम को कम करने का काम कानूनी रूप से निर्धारित रियायत तथा राज्य सहायता करार द्वारा किया जाएगा। यदि किसी स्टेकहोल्डर से चूक हो जाती है, तो प्रभावित स्टेकहोल्डर को सम्बद्ध करार के उपबंधों के अनुसार समुचित मुआवजा दिया जाएगा।

व्याख्याता, गृह विज्ञान विभाग,
आर.के. कॉलेज, मधुबनी
ई–मेल : savitakumari470@yahoo.com

गरीबों के लिए वरदान बनी इंदिरा आवास योजना

सोनी कुमारी

इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान तैयार करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में रह रहे कमजोर वर्गों, जो गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के हैं, को पक्के मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करना है। इंदिरा आवास योजना के लिए वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह लागत साझेदारी 90:10 आधार पर होती है।

मानव जीवन के लिए घर एक बुनियादी आवश्यकता है। एक सामान्य नागरिक, जिसके पास घर है, के पास समाज आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा दर्जा होता है। एक बेघर आदमी के लिए एक मकान उसके अस्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन लाता है, उसे एक पहचान दिलाता है जिससे वह अपने नजदीकी सामाजिक परिवेश के साथ जुड़ जाता है। बंटवारे के पश्चात् शरणार्थी पुनर्वास मंत्रालय द्वारा तत्काल शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु एक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया जो 1960 तक चला। लगभग 5 लाख परिवारों को मुख्यतः उत्तर भारत में स्थित विभिन्न केन्द्रों में बसाया गया। वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास अभियान के एक भाग के रूप में एक ग्रामीण आवास योजना भी शुरू की गई जिसके तहत व्यक्तियों तथा सहकारी संस्थानों को अधिकतम 5000 रुपये प्रति आवास की दर से ऋण दिए गए। हालांकि पांचवीं योजना के अंत तक इस योजना के तहत केवल 67000 घरों का ही निर्माण किया गया। वर्ष 1972-73 में लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया कि "समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि हालांकि भारत की लगभग 83 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और लगभग 73 प्रतिशत ग्रामीण आबादी कच्चे घरों में रहती है फिर भी ग्रामीण आवास की समस्या पर सरकार ने कम ध्यान दिया है।"

इसके अनुसरण में सरकार द्वारा कुछ पहल की गई, जिनमें आवास–स्थल सह–निर्माण सहायता योजना की शुरुआत किया जाना शामिल है जो चौथी योजनावधि में एक केन्द्रीय योजना के रूप में शुरू हुई और राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश पर 01.04.74 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई थी।

इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से हुई है, जो वर्ष 1980 में प्रारम्भ हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम, जो 1983 में प्रारम्भ हुआ, के तहत प्रमुख कार्यकलापों में मकानों का निर्माण किया जाना शामिल था। हालांकि, राज्यों में ग्रामीण आवास के लिए कोई समान नीति नहीं थी। उदाहरण के तौर पर, कुछ राज्यों ने निर्माण लागत में कुछ हिस्से को ही एनआरईपी/आरएलईजीपी निधियों से वहन किए जाने की अनुमति दी और शेष व्यय लाभार्थियों द्वारा उनके बचत खाते अथवा उनके द्वारा लिए गए ऋण से पूरा किया जाना था। दूसरी तरफ अन्य राज्यों ने सम्पूर्ण व्यय को एनआईपी/आरएलईजीपी निधियों से वहन करने की अनुमति दी, जबकि अन्य राज्यों ने लाभार्थियों के मौजूदा मकानों के जीर्णोद्धार की अनुमति प्रदान की। भारत सरकार द्वारा जून 1985 में की गई घोषणा के अनुसार आरएलईजीपी निधि का कुछ हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण के प्रयोजनार्थ उद्दिष्ट किया गया। इसके परिणामस्वरूप, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985–86 में आरएलईजीपी की एक उपयोजना के रूप में की गई। इंदिरा आवास योजना, तत्पश्चात् अप्रैल, 1989 में शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना एक उप–योजना के रूप में जारी रही। जवाहर रोजगार योजना के तहत कुछ निधियों का 6 प्रतिशत हिस्सा इंदिरा आवास योजना को लागू करने के लिए आवंटित किया गया। वर्ष 1993–94 से इंदिरा आवास योजना के दायरे का विस्तार करके गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के गैर–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को शामिल किया गया। साथ ही, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों के आवंटन में वृद्धि करके इसे राष्ट्रीय–स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कुल संसाधनों का 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया। बशर्ते गैर–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीबों को मिलने वाला लाभ कुल 'जेआरवाई' आवंटन का 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से 1 जनवरी, 1996 को अलग करके एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया।

वर्ष 1999–2000 से सुधार न किए जाने योग्य कच्चे घरों के स्तरोन्नयन हेतु प्रावधान करके तथा गरीबों के कुछ वर्गों के लिए छूट सहित ऋण प्रदान करके ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सुधार करने के प्रयोजनार्थ कई पहल की गई हैं। ग्रामीण आवास में लागत कारगर, आपदारोधी तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में देखी जा सकती है जो वर्ष 1980 में प्रारम्भ किया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम के तहत मकानों का निर्माण किया जाना प्रमुख कार्यकलापों में से एक था। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आरएलईजीपी की एक उपयोजना के रूप में की गई और इसके बाद यह वर्ष 1989 में प्रारम्भ जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में जारी रही। एक जनवरी, 1996 को यह एक स्वतंत्र योजना बन गई।

मैदानी क्षेत्रों में किसी इंदिरा आवास योजना घर के लिए सहायता 45000 रुपये प्रति आवास और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह 48500 रुपये है जो एक अप्रैल 2010 से लागू है। किसी मकान के जीर्णोद्धार के लिए 15000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी आतंकवाद प्रभावित 60 जिले 48500 रुपये प्रति इकाई की अधिक दर से सहायता राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे जो एक अप्रैल, 2010 के बाद जारी सभी संस्वीकृतियों पर लागू होगी।

इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, एक इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी भिन्न–भिन्न ब्याज दर योजना के तहत इंदिरा आवास योजना इकाई सहायता को टॉपअप करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 20000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।

उन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए जिनके पास आवास की जगह नहीं है, वर्ष 2009–10 से इंदिरा आवास योजना के एक हिस्से के रूप में मकान के लिए जगह देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा वित्तपोषण 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषताएं

- इंदिरा आवास योजना देशभर में (दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर) लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत मकान के निर्माण के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को सहायता–अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक अप्रैल, 2010 से प्रभावी निर्माण लागत सहायता की सीमा मैदानी इलाकों में 45000 रुपये प्रति इकाई तथा पर्वतीय/दुर्गम इलाकों में 48500 रुपये प्रति इकाई है। कच्चे मकानों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता 15000 रुपये प्रति इकाई है। इसके अलावा, इंदिरा आवास योजना घरों को भिन्न–भिन्न ब्याज दर योजना के तहत रखा गया है जिससे

4 प्रतिशत ब्याज दर पर 20000 रुपये प्रति इकाई तक रुपये ऋण लिया जा सके। इसके अलावा वामपंथी आतंकवाद प्रभावित 60 जिले 48500 रुपये प्रति इकाई की अधिक दर से सहायता राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे जो एक अप्रैल, 2010 के बाद जारी सभी संस्वीकृतियों पर लागू होगी।

- इस योजना के तहत केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों की हिस्सेदारी 72:25 के आधार पर की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वित्तपोषण पैटर्न 90:10 पर आधारित होता है।
- चूंकि मुख्य उद्देश्य बेघरों की संख्या को कम करना है, 75 प्रतिशत वरीयता घरों की कमी के लिए दी जाती है और 25 प्रतिशत वरीयता गरीबी अनुपात को दी जाती है जैसाकि राज्य–स्तरीय आवंटन के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला–स्तरीय आवंटन योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला–स्तरीय आवंटन के लिए पुनः 75 प्रतिशत वरीयता घरों की कमी के लिए और 25 प्रतिशत वरीयता संबंधित जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दी जाती है। दिए गए आवंटन तथा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषदें इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले मकानों की पंचायतवार संख्या निर्धारित करती हैं और संबंधित ग्राम पंचायत को इसके बारे में सूचित करती हैं।
- इसके बाद अलग–अलग ग्रामसभा के अनुमोदन से तैयार की गई इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इस प्रकार की प्रतीक्षा सूची बीपीएल सूची 2002 में से तैयार की जाती है।
- इस योजना के तहत किसी जिले में उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न श्रेणियों हेतु उद्दिष्ट किया जाता है, जो इस प्रकार हैं :–
- कुल इंदिरा आवास योजना की निधियों तथा वास्तविक लक्ष्यों के कम से कम 60 प्रतिशत हिस्से का उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल परिवारों के लिए मकानों के निर्माण/उन्नयन के लिए किया जाना चाहिए।
- गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बीपीएल ग्रामीण परिवारों के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत।
- मंत्रालय द्वारा यथानिर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक राज्य में बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना निधियों तथा वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा।
- उपर्युक्त श्रेणियों में से 3 प्रतिशत शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए है।

यदि किसी जिले में कोई एक श्रेणी विशेष समाप्त हो जाती है अथवा उपलब्ध न हो तो आवंटन का उपयोग दिशा–निर्देश में दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए किया जा सकता है।

- वर्ष 2006–07 से इंदिरा आवास योजना के तहत निधियों एवं वास्तविक लक्ष्यों को प्रत्येक राज्य में बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए भी उद्दिष्ट किया जा रहा है।
- इसके अलावा, रिहायशी इकाईयों का आवंटन निरपवाद रूप से लाभग्राही परिवार के महिला सदस्य के नाम से किया जाना होता है। वैकल्पिक रूप से, इसका आवंटन पति–पत्नी दोनों के नाम से किया जाता है। केवल ऐसे मामले में जहां परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य न हो, उस स्थिति में मकान का आवंटन किसी पात्र पुरुष सदस्य के नाम से किया जाता है।
- मकान निर्माण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की है। ठेकेदारों को काम पर लगाने की सख्त मनाही है। प्रत्येक आईएवाई मकान में शौचालय तथा धुंआरहित चूल्हे की व्यवस्था करना अपेक्षित है।
- इंदिरा आवास योजना के तहत घरों के निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए जिनमें विभिन्न राज्यों में इंदिरा गांधी योजना मकानों की गुणवत्ता की तुलना करने के लिए अध्ययन करना शामिल है, एक कार्यबल गठित किया गया। कार्यबल ने अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा तकनीकी तथा सामग्री संबंधी विनिर्देशों के साथ–साथ टाइप डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही टाइप डिजाइन हो और कोई एक राज्य स्थानीय अवस्थाओं के आधार पर एक से अधिक टाइप डिजाइन अपना सकता है।
- विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को इंदिरा आवास योजना के साथ संकेन्द्रित करने के संबंध में सभी डीआरडीए को अपेक्षित निर्देश जारी किए गए हैं। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को चाहिए कि वे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सम्पूर्ण सफाई अभियान, जनश्री तथा आम आदमी बीमा योजना और भिन्न–भिन्न ब्याज दर योजना के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त करें।
- राज्यों/संघशासित प्रदेशों से प्राप्त मासिक तथा वार्षिक रिपोर्टों के जरिए इंदिरा आवास योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है। मंत्रालय में उप–सचिव तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये क्षेत्रीय अधिकारीगण समय–समय पर आवंटित राज्यों संघशासित

प्रदेशों का दौरा करते हैं और इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन का निरीक्षण करते हैं। वे राज्य–स्तरीय समन्वयन समिति की बैठकों में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे वे नीति–निर्माताओं अर्थात् भारत सरकार और क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच कारगर सम्पर्क स्थापित करते हैं। इस कार्यक्रम की समीक्षा ग्रामीण विकास संबंधी राज्य सचिवों की बैठकों में और प्रत्येक वर्ष आयोजित कार्यशालाओं में डीआरडीए के परियोजना निदेशकों के साथ की जाती है।

योजना के अंतर्गत नई पहलें

- इंदिरा आवास योजना के एक हिस्से के रूप में एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य उन ग्रामीण बीपीएल परिवारों को वासभूमि स्थल उपलब्ध कराना है, जिसका नाम स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची में शामिल तो है परन्तु जिनके पास घर के लिए जमीन नहीं है। इस योजना के तहत 10000 रुपये प्रति वासभूमि स्थल की दर से धनराशि दी जा रही है जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। सभी राज्यों में इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान कर्नाटक, केरल, सिक्किम, बिहार तथा महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान तथा सिक्किम को निधियां जारी की गई हैं। सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 2016–17 तक सभी भूमिहीन ग्रामीण बीपीएल लोगों को घर के लिए जमीन देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करें।
- इंदिरा आवास योजना के तहत घरों के निर्माण का अध्ययन करने और बेहतर गुणवत्ता वाले मकान बनाने की अनुशंसा करने के लिए मंत्रालय में एक कार्यबल गठित किया गया। कार्यबल ने सिफारिश की है कि बनाए जाने वाले मकान पक्के होने चाहिए जो टिकाऊ होते हैं और किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकते हैं। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह बनाए जाने वाले घरों की टाइप डिजाइन तय करें। इसके अतिरिक्त, कम से कम नींव डालते समय और छत निर्माण करते समय तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन सिफारिशों को लागू करें।
- यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लाभार्थ सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा आवास योजना के साथ विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को संकेन्द्रित करने के बाबत सभी डीआरडीए को अपेक्षित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, जनश्री और आम आदमी बीमा योजना तथा भिन्न–भिन्न ब्याज दर योजना के साथ इंदिरा आवास योजना को संकेन्द्रित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- इस समय देश में सभी जिलों द्वारा इंदिरा आवास योजना के संबंध में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय ने इंदिरा आवास योजना के साथ अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को संकेन्द्रित करने के लिए अनुवीक्षण फॉर्मेट भी शुरू किया है।
- इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना में निम्न प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है :–

इंदिरा आवास योजना घरों की गुणवत्ता में सुधार करना

बारहवीं योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आवास की गुणवत्ता में सुधार करना है। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाना निश्चित रूप से एक आवश्यक शर्त है, परंतु यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह सिफारिश की गई है कि राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियां नवीकरण प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइन और पद्धतियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। परंतु अधिकांश राज्यों के पास ऐसा करने के लिए कोई यांत्रिक प्रणाली उपलब्ध नहीं है। संस्थानों के नेटवर्क के जरिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने की बहुत जरूरत है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय सांस्कृतिक वरीयताओं के अनुसार कम लागत के, वातावरण के अनुकूल और दुर्घटनारोधी आवास बन सकेंगे। वातावरण संबंधी और सांस्कृतिक स्थितियों में अंतरों को दर्शाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकल्पों की सूची को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

निधियों का सुगम अंतरण

केंद्र से लेकर राज्यों तक निधि अंतरण करने की प्रक्रिया को विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने तथा अभिसरण की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। मनरेगा अथवा टीएससी की दिशा में राज्यों द्वारा सृजित की जाने वाली निधि के जरिए राज्यों को अब निधियां जारी की जाएंगी। केंद्र की जारी निधि तथा राज्य की अंशदान राशि को राज्य निधि में जमा किया जाएगा और राज्यों से यह अपेक्षा की जाएगी कि दिशा–निर्देशों में परिभाषित पूर्व निर्धारित कसौटी के आधार पर डीआरडीए को निधियां जारी की जाएं। यह आशा है कि इस योजना के कार्यान्वयन में इन संशोधनों को करने से लक्षित जनसंख्या तक

प्रभावशाली रूप से पहुंचने में सहायता मिलेगी और इस तरीके से विभागों में सहज रूप से कार्य करने की सुविधा प्राप्त होगी।

एपीएल–बीपीएल के बीच के अंतर को समाप्त करना

सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना कार्य बारहवीं योजना कार्यान्वयन के लिए समय पर पूरा होगा। इस जनगणना से आवासरहित परिवारों तथा खराब गुणवत्ता के घरों में रहने वाले परिवारों की सूचियां उपलब्ध होंगी। इसमें किसी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा। एसईसीसी द्वारा उल्लिखित अन्य वंचित संकेतकों के आधार पर निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकता की दृष्टि से इन परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अधीन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

गरीबों की भूमि पर अभिगम क्षमता में वृद्धि करना

इंदिरा आवास योजना के अधीन आवास क्षेत्र प्लॉट की खरीद हेतु यूनिट लागत को इंदिरा आवास योजना सहायता पैटर्न पर अर्थात् केंद्र : राज्य द्वारा 75:25 अंशदान राशि के आधार पर रुपये 20000 तक बढ़ाया जाएगा। जिला–स्तर पर समर्पित अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा पद नामित किया जाएगा, जिससे आवास क्षेत्र स्थलों तक पहुंचने वाले लाभभोगियों द्वारा झेली जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। आवासहीन वर्ग के परिवारों के लिए आवास क्षेत्र भूमि विकसित करने के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

आपदा जोखिम को कम करने पर बल देना

अच्छी गुणवत्ता का निर्माण करने के लिए तकनीकी जानकारी और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने और रहस्य से बाहर लाने के सामूहिक प्रयासों के साथ–साथ यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्थानों में आपदा जोखिम पर विचार और विश्लेषण किया जाए। आवास निर्माण हेतु तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धांतों को पर्याप्त रूप से संशोधित करने की जरूरत है। भारत सरकार यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन गृह मंत्रालय ने "ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जोखिमों हेतु सुरक्षा प्रावधानों तथा विकास और भवन निर्माण हेतु दिशानिर्देशों" को विकसित किया है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों के आपदा जोखिम का पता लगाने के लिए विभिन्न संगठनों, जिसमें पीआरआई भी शामिल है, की भूमिका तथा जिम्मेदारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण विवरणों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जो भवन की सुरक्षा के लिए भिन्न–भिन्न हो सकता है। निधि स्रोत पर ध्यान दिए बिना ग्रामीण भारत में आवास स्टॉक के आपदा जोखिम को कम करने के लिए ऐसे विचारों को शामिल करने की जरूरत है। आवास निर्माण में आपदा प्रतिरोधक डिजाइनों को शामिल करके भारत की अतिसंवेदनशील एटलस में प्रस्तुत "बहुजोखिम" ग्रस्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन क्षेत्रों को "दुष्कर क्षेत्र" के रूप में पदनामित किया जाएगा और इंदिरा आवास योजना के अधीन उच्चतर यूनिट सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य विपदाओं जैसे आग के कारण होने वाले हानि जोखिम को फैलने से रोकने के लिए समूह बीमा के जरिए सभी नए घरों का बीमा कराया जाएगा।

पी.एच.डी, शोधार्थी, इतिहास विभाग,
ल.ना.मि.वि.वि., दरभंगा
ई–मेल : sonikumari4284@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

ग्रामीण विकास परियोजनाएं एक नजर में

गौरव कुमार

सतत् ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य-स्वच्छता, पर्यावरणीय सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण हैं। देश में इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की गईं हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का यहां विवेचन किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की धुरी है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रामीण आबादी अधिक है, बल्कि ऐसा इसलिए भी है कि ग्रामीण विकास का क्षेत्र तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षाकृत पिछड़ी दशा में है। यदि ग्रामीण विकास पिछड़ता है तो राष्ट्रीय विकास भी निसंदेह तथाकथित इंडिया और भारत की विभाजन रेखा पर केन्द्रित रह जाएगा। इस लिहाज से हमें अपने ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोणों को और भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है ताकि सतत् ग्रामीण विकास की अवधारणा फलीभूत हो। देश में ग्रामीण विकास की दिशा में बहुत सारी योजनाएं व कार्यक्रम संचालित हैं, इसका काफी हद तक हमें लाभ भी मिला है। किन्तु अपेक्षित परिणाम से हम अब भी बहुत दूर हैं। इसका कारण यह है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन व दृष्टिकोणों में कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं। इसलिए इन योजनाओं की एक बार पुनःसमीक्षा करने की भी जरुरत है ताकि इन सबको समग्र रूप से सतत् ग्रामीण विकास के तौर पर निर्धारित किया जा सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)

गरीबी को प्रभावी तरीके से दूर करने और ग्रामीण विकास की दिशा तीव्र करने के लिए केंद्र सरकार ने इस महात्वाकांक्षी कार्यक्रम को 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया। 2 फरवरी, 2006 से इसे पहले 200 जिलों में शुरू किया गया तथा 1 अप्रैल, 2008 को यह पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम

का उद्देश्य ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों का मजदूरी योग्य गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों को मजदूरी एवं रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ उन कार्यों के जरिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान देता है जो सुरक्षा, वनविनाश, मृदाक्षरण जैसे दीर्घकालिक गरीबी के कारणों को दूर करते हैं। इस प्रकार यह सतत् ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जैसाकि हमें जरुरत है।

मनरेगा कानून के प्रावधानों के तहत इसके दायरे में प्रमुख रूप से जल व मिट्टी संरक्षण, वनीकरण, भूमि विकास के कार्य शामिल किए गए हैं। 4 मई, 2012 को एक नई अधिसूचना के द्वारा इसमें 30 अन्य नए कार्य शामिल किए गए हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ भी इसका अभिसरण किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबी निवारण परियोजना के रूप में प्रमुख तौर पर चिन्हित किया गया है। प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार गारंटी देना और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान शामिल कर इसे लाभोन्मुख बनाया गया है। 1 अप्रैल, 2013 से इन मजदूरों का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है तथा इसे कृषि श्रम उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स (सी पी आई ए एल) से भी जोड़ा गया है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में मजदूरी दर वर्तमान में 214 रुपये प्रतिदिन (हरियाणा में) से 135 रुपये प्रतिदिन (पूर्वोत्तर राज्यों में) तक है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार अकुशल मजदूरी व्यय का 100 प्रतिशत तथा सामग्री का 75 प्रतिशत तक वहन करती है।

इस कार्यक्रम को क्षेत्र आधारित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण सशक्तिकरण का लाभ भी प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम में कार्यान्वयन एजेंसी मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम एजेंसी के रूप में मध्यवर्ती व जिला पंचायत, केंद्र व राज्य सरकार के अधिक अधिकार वाली सरकारी समितियां, राज्य के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन आदि भी हो सकते हैं। कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य ग्रामसभा को दिया गया है जो सामाजिक लेखा–जोखा करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं।

मनरेगा कार्यक्रम में वर्ष 2010–11 के दौरान करीब 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। अब तक 1200 करोड़ रोजगार दिवसों का सृजन हुआ है तथा ग्रामीणों के बीच करीब 1,10,000 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रति वर्ष औसतन एक–चौथाई परिवारों ने लाभ प्राप्त किया है। वर्ष 2013–14 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

25 दिसंबर, 2000 को शत–प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या अधिक आबादी वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) तथा पहाड़ी, जनजातीय या मरुस्थलीय क्षेत्रो में 250 या अधिक आबादी वाले संपर्कविहीन स्थलों को बारहमासी सड़क संपर्क के द्वारा मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना है। दिसंबर 2012 तक लगभग 96939 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है तथा 363652 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। इससे राज्यों की 89382 बस्तियों को नया संपर्क प्राप्त हुआ।

विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पक्की सड़कों से है उन क्षेत्रों में वर्ष 2000 से 2009 के बीच लोगों की आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है। अध्ययन में यह बात भी रेखांकित की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़क निर्माण पर 10 लाख का निवेश होता है तो करीब 163 लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकलते हैं। इससे साबित होता है कि सड़क संपर्क ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक माना गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्तमान वित्तवर्ष में 21700 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

1 अप्रैल, 1999 से शुरू स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्धारित किया है तथा इसका नाम आजीविका कर दिया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 6 प्रमुख घटकों को मिलाकर बनायी गई थी। ये प्रमुख घटक थे– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्लू.सी.आर.ए.), ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्पलायमेंट (ट्रायसेम), सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसन्स (सिट्रा), मिलियन वेल्स स्कीम (एम डब्लू एस), गंगा कल्याण योजना।

नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुछ प्रमुख मिशन और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमे शामिल हैं–ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना, समूह तथा कलस्टर गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, स्वरोजगार में सहायता देना, कौशल विकास के लिए

अवसर उपलब्ध कराना, ऋण व सब्सिडी देना तथा उत्पादों के विपणन के अवसर उपलब्ध कराना आदि। इस प्रकार समग्र रूप में इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को गरीबी से उबारकर बेहतर जीवन देना व योग्य बनाना है।

इस मिशन के तहत प्रावधान है कि गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य (महिला को प्राथमिकता) को स्वयंसहायता समूह के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा क्षमता निर्माण व कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, सब्सिडी युक्त ऋण, नवीनता का संवर्धन करना भी इस मिशन के उद्देश्य हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर यह मिशन पूरे देश में लागू है।

स्वयंसहायता समूह

स्वयंसहायता समूह एक समान समस्या से जूझ रहे लोगों का एक छोटा समूह है। समूह के सदस्य एक–दूसरे की समस्या के निदान के लिए सहयोग करते हैं। कोई स्थानीय शिक्षित व्यक्ति प्रेरक के रूप में उन्हें संगठित व गतिशील करता है। यह प्रेरक व्यक्ति समूह के सदस्यों को मितव्ययिता व बचत की आदत के विकास के लिए प्रेरित करता है। समूह के सदस्यों की बचत को एक सामूहिक बैंक खाते में जमा किया जाता है। 6 माह के बाद समूह किसी भी बैंक से सस्ते लघु ऋण (प्रायः 2–3 प्रतिशत ब्याज दर पर) प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण समूह को किसी लघु उद्यम (व्यवसाय) को स्थापित व संचालित करने के लिए दिया जाता है तथा इसका भुगतान व्यवसाय के लाभ से किया जाता है। इस ऋण की प्राप्ति के लिए बैंक के पास किसी प्रकार की जमानत को रखने की जरुरत नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने स्वयंसहायता समूह के ऋणों के लिए विशेष दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

स्वयंसहायता समूह के सदस्य किसी भी गरीब परिवार के पुरुष या महिला सदस्य, दो एकड़ से कम सूखा भूखंडधारक किसान, स्वच्छ पेयजल से वंचित, परिवार में अशिक्षित वयस्क व्यक्ति, वैसा परिवार जिसमे कोई एल्कोहल या ड्रग्स एडिक्ट हो या किसी को गंभीर बीमारी हो तथा अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार आदि के हो सकते हैं।

स्वयंसहायता समूह की यह योजना दो तरीके से ग्रामीण विकास में मदद पहुंचाती है। पहला, यह वंचित तबकों को गरीबी दूर करने का अवसर देती है तथा दूसरा, यह उन लोगों का सशक्तिकरण भी करती है ताकि वे अपना निर्णय खुद ले सकें। संगठित रूप से बाहरी दुनिया के साथ उनका संपर्क बढ़े और वे नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ सकें।

पुरा (पीयूआरए) योजना

पुरा यानी प्रोविजन अर्बन एमेनिटीज इन रुरल एरिया कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की प्रेरणा से वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करके और भी बेहतर सुविधाओं वाले जीवन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और शहरी सुविधाएं उपलब्ध करना है। यह परियोजना ग्राम पंचायत और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी करके पी.पी.पी. के अंतर्गत लागू की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के संपर्क में इस हेतु रहता है।

योजना के आरंभ में दसवीं योजना के दौरान 9 पायलट प्रोजेक्ट 5 राज्यों व एक केन्द्रशासित प्रदेश में लागू किए गए। इसके द्वितीय चरण में 10 पायलट प्रोजेक्ट लांच करने हैं। फरवरी 2012 में केरल के मालापुरम और त्रिचुर जिलों में 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए। 7 अन्य को भी 12वीं योजना में शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत कार्यकलाप और सहायता सम्बन्धी चार संपर्कता क्षेत्रों का चयन किया गया है–

- सड़क परिवहन और विद्युत संपर्कता।
- विश्वसनीय दूरसंचार, इंटरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संपर्कता।
- बेहतर शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध करना।
- बाजार संपर्कता जिससे किसान अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करें।

बीससूत्रीय कार्यक्रम

बीससूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई थी। इसे पहली बार 1982 में तथा दूसरी बार 1986 में पुनर्संरचित किया गया। कार्यक्रम का आधारभूत लक्ष्य देश की गरीब व वंचित आबादी के जीवन–स्तर को सुधारना है। कार्यक्रम में बहुत से सामाजिक–आर्थिक आयामों को शामिल किया गया है। जैसे – गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि व भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर तबकों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, उत्तरदायी प्रशासन आदि। कार्यक्रम में 119 विषय है जिसमें से 65 विषयों की निगरानी भौतिक लक्ष्य के तहत तथा 54 की निरीक्षण/परीक्षण के द्वारा की जाती है। ये बीस सूत्र इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण गरीबी पर आक्रमण।
- वर्षा कृषि के लिए रणनीति।
- सिंचाई जल का बेहतर प्रयोग।
- अधिक उत्पादन (पैदावार)।
- भूमि सुधार का क्रियान्यवयन।
- ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम।
- शुद्ध पेयजल।
- सबके लिए स्वास्थ्य।
- परिवार नियोजन (दो बच्चो का प्रतिमान)।
- शिक्षा का विस्तार।
- अनुसूचित जाति व जनजाति को न्याय।
- महिलाओं के लिए समानता।
- युवाओं के लिए नए अवसर।
- लोगों के लिए आवास।
- स्लम क्षेत्रों का विकास/उन्नयन।
- वनीकरण के लिए नई रणनीति।
- पर्यावरण का संरक्षण।
- उपभोक्ता हितों का संरक्षण।
- ग्रामीण विद्युतीकरण।
- उत्तरदायी प्रशासन।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

यह कार्यक्रम 1989–90 से चल रहा है। इसके तहत बंजर भूमि का विकास हितधारकों की भागीदारी से किया जाता है। इसमें ग्राम पंचायत, स्वयंसहायता समूह शामिल हैं। इन परियोजनाओं को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या जिला परिषद् से 5 वर्षों के लिए मंजूरी मिलती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रो में सभी स्तरों पर जन भागीदारी से बंजर भूमि विकास के कार्यों में रोजगार प्रदान करने वाला है। कार्यक्रम में ये पहलू शामिल हैं–

- मिट्टी व आद्रता संरक्षण उपाय जैसे बांध निर्माण, नाला निर्माण, वनस्पति घेरा बनाना आदि।

- मृदाक्षरण रोकने के लिए बहूपयोगी पेड़–पौधे, झाड़ी, घास आदि लगाना।
- प्राकृतिक संरक्षण उपाय।
- एग्रो फोरेस्ट्री तथा होर्टीकल्चर को प्रोत्साहन देना।
- ईंधन के रूप में लकड़ी प्रयोग का विकल्प देना।
- जागरुकता तथा तकनीकी विकास।
- जन भागीदारी को प्रोत्साहन।

भारत में करीब एक तिहाई भूमि बंजर है। ऐसे में इस तरह की परियोजनाएं दो तरह से लाभकारी हैं। एक तो यह भागीदारी आधारित परियोजना है जोकि लोगों को रोजगार देने वाली है तथा दूसरी तरफ बंजर भूमि का विकास कर उसे उपयोगी बनाने की दिशा में क्रियाशील है।

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है। यह योजना 1985–86 से चल रही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों तथा अन्य वंचितों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस पर होने वाले व्यय में केंद्र का योगदान 75 प्रतिशत तथा राज्य का 25 प्रतिशत होता है. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी केंद्र–राज्य के लिए 90–10 की होती है।

योजना के तहत गरीब परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर, विधवा, विकलांग, मैला धोने वाले आदि लोग पात्र हैं। इन्हें आवास बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70 हजार तथा पहाड़ी या असमतल क्षेत्रों में 75 हजार रुपये प्रति आवास वित्तीय मदद दी जाती है।

रोशनी योजना

कौशल विकास कर रोजगार दिलाने वाली जम्मू–कश्मीर की योजना *हिमायत* की तर्ज पर देश के सर्वाधिक नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोशनी नामक परियोजना शुरू की गई है। 7 जून, 2013 को ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस नए कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह योजना का नक्सल–प्रभावित 9 राज्यों के 24 जिलों में पहले चरण में शुरू की जा रही है। अगले तीन वर्षों में इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमे केंद्र और राज्यों का व्यय अंश 75:25 होगा। इस योजना के तहत करीब 50 हजार युवाओं जिसमें आधी महिलाएं होंगी, को विभिन्न प्रकार के कौशलपरक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिलाया जाएगा जो खुदरा, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल, निर्माण, वित्तीय व बीमा क्षेत्रों से सम्बंधित रोजगार होंगे। प्रशिक्षण का कार्य जानी–मानी संस्थाओं को सौंपा जाएगा।

रोशनी योजना की शुरुआत पायलट परियोजना के तौर पर छत्तीसगढ़ के सुकमा और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिलों में की गई थी। सुकमा जिले के 150 से अधिक तथा पश्चिम सिंहभूम जिले के 230 युवाओं को प्रशिक्षित कर महानगरों में रोजगार दिलाए गए। इसकी सफलता से प्रेरित होकर ही सरकार अब इसे नए 24 जिलों में विस्तारित कर रही है।

यह योजना भी रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ–साथ नक्सलवाद जैसी समस्या से ग्रामीण युवाओं को दूर करने में कारगर है। आज ग्रामीण विकास के मार्ग में नक्सल गतिविधियां बहुत बड़ी बाधक बनी हुई हैं। इसका निवारण विकास के माध्यम से ही संभव है जैसाकि पिछले दिनों हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने भी कहा था।

उपरोक्त सभी योजनाएं लम्बे प्रयासों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हैं। यह भी सही है कि सरकार को इन योजनाओं पर काफी व्यय भी करना होता है। किन्तु परिणाम की दशा को देखकर प्रतीत होता है कि इसकी सफलता की आशा परिणाम से कहीं ज्यादा थी, और तब हमें नए सिरे से फिर एक अन्य योजना बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इस स्थिति को दूर करने के बहुत से सुझाव दिए जा सकते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण सुझाव यह हो सकता है कि इन सभी योजनाओं की विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा कराने के पश्चात एकीकृत योजना के दायरे में लाया जाए। क्योंकि बहुत–सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके लक्ष्य और उद्देश्य लगभग समान हैं, साथ ही इनके लाभार्थी भी समान वर्ग के हैं। दूसरी तरफ हमें ग्रामीण विकास की इन सभी योजनाओं को सतत ग्रामीण विकास की योजना के रूप में पुनर्निर्धारित करने की भी आवश्यकता है।

सतत ग्रामीण विकास के लिए जरुरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद तमाम प्राकृतिक संसाधनों भूमि, जल, जंगल, खनिज संसाधन आदि का इस्तेमाल ऐसे तरीके से हो कि इनसे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सके। साथ ही इन संसाधनों का उपयोग करने के अलावा इनके पुनर्भरण की भी उतनी ही आवश्यकता है। विकास के रास्ते में यदि भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का अभाव प्रस्तुत होता है तो यह सतत ग्रामीण विकास के विपरीत विकास प्रक्रिया है। सतत ग्रामीण विकास की समग्र अवधारणा में सहभागी विकास कार्यक्रमों को शामिल करने की जरुरत है। इसके अलावा ग्रामीण विकास, जो ग्रीन ग्रोथ की संकल्पना के लिए उपयुक्त है, को सही तरीके से संचालित करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : gauravkumar9991@gmail.ocm

गांवों में कायापलट का क्रांतिकारी कदम-मनरेगा

सुभाष सेतिया

गांवों में मनरेगा कार्यक्रम लागू करके रोजगार मुहैया कराने का क्रांतिकारी कदम उठाया गया। इसमें केवल रोजगार की व्यवस्था करने का ही नहीं बल्कि साल में न्यूनतम दिनों के रोज़गार की गारंटी का भी प्रावधान है। यही नहीं, इसके क्रियान्वयन में स्थानीय शासन यानी पंचायतों की भूमिका भी तय की गई है। यद्यपि सरकार इससे पूर्व भी रोजगार सृजित करने की विविध योजनाएं चलाती रही हैं लेकिन पहले कभी भी रोजगार की कानूनी गारंटी नहीं दी गई थी। इस कार्यक्रम में वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी मिल जाने से ग्रामीण परिवारों में आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा उठ गया है। इससे ग्रामीण समुदाय में आर्थिक व सामाजिक विषमता कम करने में भी मदद मिल रही है। 'मनरेगा' की सफलता का एक ओर आयाम यह है कि इसकी बदौलत गांवों में विकास कार्यों तथा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही है।

महात्मा गांधी ने गांव को देश के विकास की बुनियादी इकाई मानते हुए गांवों में हालात बदलने का जो मूलमंत्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिया था, उसका प्रभाव स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की विकास योजनाओं में सदैव झलकता रहा है। यही कारण है कि देश में चाहे किसी भी दल या गठबंधन की सरकार रही हो, ग्रामीण विकास सदैव विकास नीतियों के केन्द्र में रहा है। गांवों में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था हो या कृषि और बागवानी की पद्धतियों में सुधार अथवा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आवश्यकताएं, इन सबके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें तरह-तरह की परियोजनाएं लागू करती रहती हैं। आज़ादी के बाद से अब तक शुरू की गईं ग्रामीण विकास परियोजनाओं का लेखा-जोखा किया जाए तो उनकी संख्या सैंकड़ों में पहुंच जाएगी। इसके अलावा समाज के कमजोर वर्गों-अनुसूचित जातियों/जनजातियों, महिलाओं, बच्चों व विकलांगों को विकास के विशेष अवसर प्रदान करने की अनेक परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। किन्तु लगातार जनसंख्या बढ़ने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित मुस्तैदी व ईमानदारी के अभाव के चलते ग्रामीण विकास का सपना अभी अधूरा है।

केन्द्र सरकार के स्तर पर गांवों में व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2004 में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम

शुरू किया गया। इससे पहले 1999 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई। गांवों में निर्धन लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए छत की व्यवस्था करने में सहायता देने के लिए इंदिरा आवास योजना अस्तित्व में आई। ग्रामीण शिल्पों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री में मदद देने के लिए कापार्ट की शुरुआत की गई। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, निर्मल ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसी असंख्य परियोजनाएं ग्रामीण जनता का जीवन–स्तर बेहतर बनाने के लिए चल रही हैं। महिलाओं के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वयंसहायता समूह योजना, महिलाओं को किसान का दर्जा देने का कानून और भू–रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण जैसे कार्यक्रमों की मदद से गांवों में खुशहाली तथा बेहतर शासन व्यवस्था कायम करने के उपाय किए गए हैं। भारत निर्माण के अन्तर्गत भी ग्रामीण विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं।

जाहिर है इन सभी परियोजनाओं से गांवों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, भले ही इसे पूरी तरह संतोषजनक नहीं माना जा सकता। किन्तु इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ ग्रामवासी पूरी तरह तभी उठा सकते हैं जब वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम व सशक्त बनें। जब तक लोगों के हाथ में काम और जेब में दाम नहीं होगा तब तक इन सभी सुविधाओं का लाभ सीमित रहेगा। ग्रामीण विकास की इसी बुनियादी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गांवों में रोजगार मुहैया कराने का क्रांतिकारी कदम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 'मनरेगा' बनाया, जिसे सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का राजा माना जा सकता है। इसमें केवल रोजगार की व्यवस्था करने का नहीं बल्कि साल में न्यूनतम दिनों के रोज़गार की गारंटी का प्रावधान है। यही नहीं, इसके क्रियान्वयन में स्थानीय शासन यानी पंचायतों की भूमिका तय की गई है। गांवों का कायापलट करने के संकल्प के साथ लागू किया गया यह कानून अब समूचे देश में चल रहा है। इसे लागू हुए 8 वर्ष हो गए हैं और इस दौरान मिले अनुभव के आधार पर इसमें समय–समय पर सुधार संशोधन भी होते रहते हैं। इसके अन्तर्गत हाथ में लिए जाने वाले कामों में भी वृद्धि की जाती रही है। रोज़गार के दिनों और पगार में भी बढ़ोतरी की गई है।

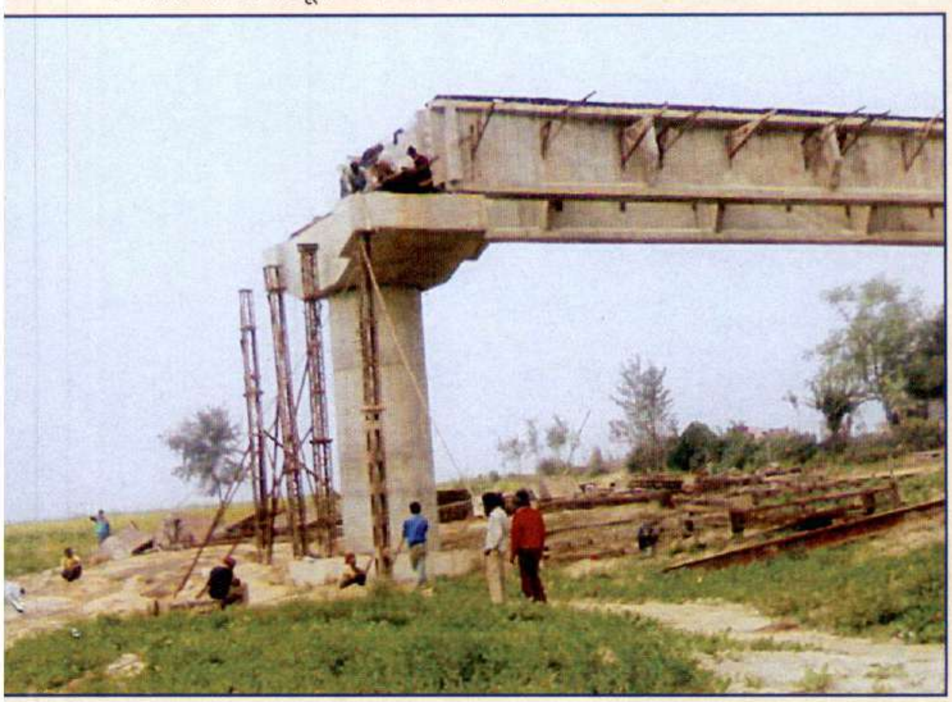

दिसम्बर 2013 में मनरेगा को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इसके तहत ईंटें बनाने, भंडारण की व्यवस्था करने और कृषि उत्पाद से जुड़े स्वयंसहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया। इसी तरह मनरेगा के सभी जॉब कार्डधारकों को अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली राशि 4500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। इस तरह इसमें सरकार, पंचायतों और ग्रामीण जनता के अनुभव के आधार पर निरन्तर सुधार हो रहा है। शुरू में इसका नाम नरेगा था किन्तु बाद में इसके नाम के आगे महात्मा गांधी शब्द जुड़ जाने से इसका संक्षिप्त नाम मनरेगा हो गया और अब यह इसी नाम से लोकप्रिय है।

मनरेगा 2 सितंबर, 2005 को अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत रोज़गार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी, 2006 को लागू हो गया। शुरू में यह कार्यक्रम देश के 200 ज़िलों में लागू किया गया। वर्ष 2007–08 में इसका क्रियान्वयन 330 ज़िलों तक बढ़ाया गया और 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी ज़िलों में इसे लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के उन परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिलाना है जिनके वयस्क सदस्य बेरोजगार हैं और मेहनत–मज़दूरी करने को तैयार हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य गांवों में गरीबी दूर करके लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाना और उनका जीवन–स्तर बेहतर बनाना है।

मनरेगा कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसे चलाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़ें मजबूत हो रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे काम हाथ में लिए जाते हैं जिनमें श्रम

की अधिक आवश्यकता होती है। यही नहीं, कानून में यह भी शर्त है कि काम के स्थानों पर श्रमिकों के लिए पीने के पानी, बच्चों के लिए बाल केन्द्र, आराम करने के लिए शेड आदि की व्यवस्था की जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि रोजगार पाने वालों में कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो। इससे ग्रामीण जनता में बचत की आदत को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। डाकघरों और बैंकों में लाखों की संख्या में खाते खुल गए हैं। डाक विभाग तथा रिज़र्व बैंक ने इन लोगों के लिए खाता जारी रखने की शर्तों को उदार बना दिया है।

'मनरेगा' के अंतर्गत रोजगार देने की प्रक्रिया को यथासंभव सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों को नियम–कायदों के झंझट से बचाया जा सके और उनका शोषण भी न होने पाए। जो भी ग्रामीण वयस्क मेहनत–मजदूरी करना चाहते हैं उन्हें ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराना होता है। इन उम्मीदवारों की योग्यता आदि की जांच के बाद उन्हें पंचायत कार्यालय से 'जॉबकार्ड' जारी किया जाता है। जॉबकार्ड एक तरह से श्रमिक की रोज़गार पासबुक है, जिसमें उसे मिले रोजगार का ब्यौरा दर्ज रहता है। इसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के फोटो लगे रहते हैं। जॉबकार्डधारी लोग पंचायत में आवेदन करके सूचित करते हैं कि उन्हें कब और कितने दिन का रोजगार चाहिए। इस प्रकार रोजगार की गारंटी की व्यवस्था लागू हो जाती है। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं जुटाया जाता है तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का नकद भुगतान किया जाता है। अब इसमें नया प्रावधान यह कर दिया गया है कि यदि 5 दिन तक रोजगार की मंजूरी नहीं दी जाती तो श्रमिकों को मुआवज़ा मिलेगा। यह भी नियम है कि रोजगार गांव से प्रायः 5 किलोमीटर की दूरी में ही उपलब्ध कराया जाए। इससे अधिक दूर काम पर लगाए जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देना होगा। वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जाता है।

इस क्रांतिकारी कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है –भ्रष्टाचार। हालांकि श्रमिकों के चयन और धन के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के उपाय किए गए हैं, किंतु नौकरशाहों और कुछ स्थानों पर पंचायतों के कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों के समाचार मिलते रहते हैं। कई बार बेनामी श्रमिकों के मस्टर रोल बनाकर उनके नाम से वेतन का भुगतान कराके ये अधिकारी राशि हड़प लेते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि श्रमिकों से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान कोरे कागज़ पर ले लिए जाते हैं और श्रमिक के काम पर न आने की स्थिति में भी उसके नाम पर भुगतान ले लिया जाता है। इसके अलावा मस्टर रोल में शामिल श्रमिकों के काम के दिन बेईमानी से बढ़ा दिए जाते हैं जिससे उन्हें वास्तविक श्रम से अधिक का भुगतान करके उसका कुछ हिस्सा उनसे नकद वसूल कर लिया जाता है। वैसे तो कहा जा सकता है कि इस तरह का भ्रष्टाचार अन्य सरकारी योजनाओं में भी चल रहा है लेकिन इस पर रोक लगाए बिना यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाएगा और देश के गांवों से गरीबी मिटाने का यह सुनहरा प्रयास विफल हो जाएगा।

एक और चिंताजनक तथ्य यह सामने आ रहा है कि मनरेगा का क्रियान्वयन सभी राज्यों में समान गति और लगन के साथ लागू नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारणों से कुछ राज्य इसके प्रति अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य में इसने ग्रामीण समाज में क्रांति ला दी है तो कुछ राज्यों में इसका कार्यान्वयन बहुत ढीला है। कार्यक्रम को समूचे देश में तत्परता से लागू करने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में सरकार विशेष रूप से चिंतित है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के कुछ उपाय किए गए हैं। इसके लिए सूचना के अधिकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार के अधिकाधिक इस्तेमाल से इसे लागू करने वाले कर्मियों और पंचायतों के अधिकारियों पर अंकुश लग सकता है। केन्द्रीय स्तर पर एक निगरानी इकाई पहले ही गठित की जा चुकी है। मनरेगा से संबंधित अधिक से अधिक आंकड़ों को ग्रामीण विकास मंत्रालय

की वेबसाइट पर भी डाला जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इससे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं को इस पर नज़र रखने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून में ही सोशल आडिटिंग यानी सामाजिक निरीक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्था मनरेगा के रिकार्ड की जांच कर सकता है। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सोशल ऑडिट करने वाली संस्थाओं को अपनी बैठकों में बुलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए भ्रष्टाचार तथा महिलाओं को काम पर न रखने के मुद्दों का पर्दाफाश किया है। सामाजिक निरीक्षण दलों में राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य अथवा समाज के ज़िम्मेदार लोग शामिल रहते हैं। किंतु सामाजिक निरीक्षण की यह प्रक्रिया सभी राज्यों में पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रही है। कुछ राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं ने मनरेगा के क्रियान्वयन पर सामूहिक रूप से नज़र रखने का तरीका अपनाया है। मिसाल के तौर पर झारखंड में अनेक जनसंगठनों व गैर–सरकारी संस्थाओं ने मिलकर 'झारखंड मनरेगा वाच' नाम का संगठन बनाया है जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और लोगों को इसका लाभ उठाने की सीख देता है। कानून को लागू करने में पारदर्शिता बनाए रखने में मीडिया भी उपयोगी भूमिका निभा सकता है। किंतु दुःख की बात यह है कि हमारा मीडिया ग्रामीण समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देता। टी.वी. समाचार चैनलों के लिए तो गांव जैसे इस देश में हैं ही नहीं। मीडिया यदि गांवों को कवर करे तो मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हो सकता है।

सच तो यह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक सच्चा राष्ट्रीय अभियान है जो अपने उद्देश्य, स्वरूप और प्रभाव की दृष्टि से अभूतपूर्व है। इसकी सफलता केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकारों, स्वयंसेवी क्षेत्र, मीडिया और देश के उत्थान के प्रति संवेदनशील हर नागरिक के लिए चुनौती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में समग्र सामाजिक परिवर्तन के ऐसे अवसर बार–बार नहीं आते। इसलिए जो राज्य किन्हीं कारणों से इसे क्रियान्वित करने में अभी तक पिछड़े हुए हैं, उन्हें इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए इसे सुचारू रूप से लागू करने के विशेष प्रयास करने चाहिए। 'मनरेगा' के क्रियान्वयन के प्रति विभिन्न स्तरों पर रुचि जगाने के उद्देश्य से 'रोजगार जागरण पुरस्कार' नाम से एक पुरस्कार शुरू किया गया है। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार उन स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया जाता है जो मनरेगा के बारे में चेतना फैलाने और इसके क्रियान्वयन में सहयोग की दिशा में श्रेष्ठ योगदान करती हैं।

मनरेगा जैसे विशाल स्वरूप और ऊंचे उद्देश्य से चलाए गए कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए 8 वर्ष का समय शायद पर्याप्त नहीं है किन्तु इसे अधिक प्रभावशाली, व्यापक तथा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के साथ–साथ स्वयं लाभार्थियों तथा ग्रामीण संस्थाओं को भी जागरूक रहना होगा। देश के समग्र विकास में इस कार्यक्रम के ऐतिहासिक योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके लिए हर साल बजट में वृद्धि के अलावा इसके अन्तर्गत हाथ में लिए जा सकने वाले कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। असल में मनरेगा से एक ओर जहां व्यक्ति व परिवार सशक्त बनता है, वहीं दूसरी ओर गांव के चहुंमुखी विकास में भी मदद मिलती है। इतने उपयोगी कार्यक्रम के सम्यक क्रियान्वयन में लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने की ही नहीं ग्रामीण विकास के माध्यम से देश की प्रगति की भी गारंटी निहित है।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं।)
ई–मेल : setia_subhash@yahoo.co.in

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक / लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला / पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

प्याज की वैज्ञानिक खेती

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

मसालों के उत्पादन एवं उपयोग में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। मसाले वाली फसलों में प्याज का विशेष महत्व है। हमारे देश के लगभग अधिकांश राज्यों में प्याज की खेती की जाती है। प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल शामिल हैं जो कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत प्याज पैदा करते हैं। भारत से प्याज का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत से प्याज का निर्यात जापान, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका, हांगकांग, ईरान, पाकिस्तान तथा अफ्रीकी देशों को किया जाता है।

प्याज मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाया जाता है। किन्तु कई राज्यों में इसकी खेती ग्रीष्म व खरीफ ऋतु में भी की जाती है। प्याज का उपयोग सलाद, अचार, सब्जी, मीट, कन्फेक्शनरी एवं मसाले के रूप में किया जाता है। इसकी हरी पत्तियों व मुलायम तने का प्रयोग स्वादिष्ट सब्जी बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा प्याज का परांठा व पकोड़े बहुत ही लोकप्रिय पकवान है। प्याज गरीबों का प्रमुख आहार है। परन्तु गत कई महीनों से इसकी आसमान छूती कीमतों के कारण यह गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। भारतीय किसान प्याज की खेती परम्परागत विधि से करते हैं जिससे उन्हें भरपूर पैदावार नहीं मिल पाती है। प्रस्तुत लेख में प्याज उगाने की नवीनतम वैज्ञानिक विधि का विवरण दिया जा रहा है।

जलवायु– प्याज के उत्पादन में जलवायु का महत्वपूर्ण स्थान है। प्याज के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। परन्तु इसे विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। प्याज की वृद्धि पर तापमान और प्रकाशकाल का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः प्याज की अधिक उपज के लिए दोनों का सामंजस्य अति आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए 12°–22° सेल्सियस के मध्य का तापमान चाहिए। जबकि कंदों के निर्माण और विकास के समय 15°–21°सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त 10 घंटों की प्रकाश अवधि और 70 प्रतिशत आपेक्षित आर्द्रता की जरूरत होती है। फरवरी–मार्च में अचानक तापमान बढ़ने के कारण कंदों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

भूमि– प्याज की भरपूर पैदावार हेतु हल्की दोमट या दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती

है। मृदा का पी.एच. मान 5.8–6.0 के मध्य होना चाहिए। भारी मृदाओं में कंदों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अधिक क्षारीय या अम्लीय मृदाएं प्याज की खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं।

भूमि की तैयारी– एक या दो गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उचित ओट आने पर खेत की जुताई करने से मृदा जल्दी व अच्छी तरह तैयार हो जाती है। भूमि की तैयारी करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत फसल अवशेषों व खरपतवारों आदि से मुक्त हो। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत समतल बना रहे। रोपाई से पूर्व खेत को उचित आकार की क्यारियों में बांट देना चाहिए। दीमक व अन्य भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए रोपाई से पूर्व अन्तिम जुताई के समय क्लोरपायईरीफोस 20 ई.सी. की 4–5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से बिखेरकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए।

उन्नत प्रजातियां– प्याज की अनेक उन्नतशील प्रजातियां किसानों के लिए उपलब्ध है। स्थानीय व परम्परागत किस्मों की अपेक्षा इनकी पैदावार 15–20 प्रतिशत अधिक होती है। साथ ही इन किस्मों में रोगों एवं कीटों का भी कम प्रकोप होता है। प्याज की उन्नतशील किस्मों में अर्ली ग्रेनो, पूसा रेड, पूसा रतनार, निफाड़–53, हिसार–2, पंजाब चयन, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, अर्का बिन्दू, अर्का पीताम्बर, एन–2–4–1, पंजाब–48, पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट वाउण्ड, उदयपुर–102, वी.एल.–76, उदयपुर–103, कल्याणपुर रेड, नासिक–53 व पंजाब सलेक्शन अर्ली ग्रेनो शामिल हैं। इसके अलावा प्याज की विभिन्न क्षेत्रों के लिए संस्तुत कुछ उन्नतशील किस्मों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

एग्रीफाउंड डार्क रेड– यह किस्म देश के विभिन्न प्याज उगाने वाले भागों में खरीफ मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है। इस प्रजाति के शल्ककन्द गहरे लाल रंग के गोलाकार होते हैं। त्वचा अच्छी प्रकार चिपकी होती है तथा मध्यम तीखापन होता है। ये प्रजातियां 140–145 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इनकी पैदावार 200–275 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा सम्पूर्ण विलेय ठोस 12–13 प्रतिशत तक होता है।

एग्रीफाउंड लाईट रेड– यह प्रजाति राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की गई है तथा पूसा रेड से बिल्कुल मिलती–जुलती है। गांठे मध्यम आकार, गोलाकार तथा हल्के लाल रंग की होती हैं। इसकी भण्डारण क्षमता अच्छी है। रोपाई के 120–125 दिन बाद तैयार होती है। इसकी पैदावार 300–375 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रजाति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 में अधिसूचित की गई।

एग्रीफाउंड व्हाईट– मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में रबी मौसम में उगाई जाने वाली स्थानीय किस्म से चयन विधि द्वारा इस प्रजाति का विकास राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नासिक ने किया है। शल्ककंदों का रंग आकर्षक सफेद, गोलाकार एवं बाह्यशल्क मजबूती से जुड़े हुए तथा व्यास 4–5 सेमी. होता है। कुल विलेय ठोस 14–15 प्रतिशत होता है। इसकी भंडारण क्षमता अच्छी होती है। यह फसल बुवाई से 160–165 दिनों में तैयार हो जाती है। इसका औसत उत्पादन 20–25 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होता है। यह प्रजाति रबी मौसम में उगाने के लिए योग्य है।

बुवाई का समय– सभी मैदानी क्षेत्रों में खरीफ प्याज के लिए बीज की बुवाई पूरे जून के महीने में की जाती है। रबी प्याज के लिए मैदानी भागों में बुवाई मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक की जानी चाहिए। पहाड़ों पर बुवाई मार्च–अप्रैल में भी की जा सकती है।

बीज की मात्रा– बुवाई हेतु उन्नतशील प्रजातियों का स्वच्छ, शुद्ध व स्वस्थ बीज का चुनाव करें। अधिक उत्पादन हेतु प्रमाणित बीजों को ही उपयोग में लाना चाहिए। प्रमाणित बीजों के प्रयोग से 10–12 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होती है। एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए 8 से 10 किग्रा. बीज पर्याप्त रहता है।

बीजोपचार– बुवाई से पूर्व बीज को फफूंदीनाशक रसायनों से अवश्य उपचारित करना चाहिए। इससे मृदाजनित व बीजजनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए थायरम, कैप्टान या बैविसटिन नामक फंफूदीनाशकों का 3.0 ग्राम/कि.ग्रा. बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। बीज उपचार बुवाई के 24 घन्टे

पहले कर लेना चाहिए। यदि बीज किसी विश्वसनीय संस्था से खरीदा गया है तो उसे उपचारित करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। यह बीज पहले से ही उपचारित होता है।

पौध तैयार करना

बीज को ऊंची उठी हुई क्यारियों में बोया जाता है। क्यारियों की चौड़ाई 60 से 70 सेमी. तक जबकि लम्बाई सुविधानुसार रखते हैं। वैसे 3 मीटर लम्बी क्यारियां सुविधाजनक होती हैं। एक हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग 80–100 क्यारियां पर्याप्त होती हैं। यदि रोग लगने की संभावना हो तो बीज तथा पौधशाला की मिट्टी को कवकनाशी जैसे थाइरम या कैप्टान आदि से उपचारित करना चाहिए। 2–3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। भूमि को बुवाई से 15–20 दिन पहले पानी देकर सफेद पॉलीथीन से ढककर 'सोलेराईजेशन' या बुवाई के पहले ट्राइकोडर्मा बिरडी कवक से उपचारित करने से भी आर्द्रगलन कम होती है। प्याज की 5–6 सप्ताह में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। बीज को 5–6 सेमी. की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। बीज की बुवाई के बाद आधा सेमी. तक सड़ी तथा छनी हुई गोबर की खाद और मिट्टी से बीज को पूर्णतया ढक देते हैं। इसके बाद फव्वारे से हल्की सिंचाई करके क्यारियों को सूखी घास से ढक देते हैं। जब बीज अच्छी तरह अंकुरित हो जाए तो घास को हटा देना चाहिए। इसके पहले यदि सिंचाई की आवश्यकता हो तो सूखी घास हटाकर सिंचाई फव्वारे से करके पुनः क्यारियों को ढक दिया जाता है। पौधे को अधिक बरसात से बचाने के लिए सिरकी या नेट से ढकना चाहिए। किन्तु खरीफ मौसम में जैसे बरसात खत्म हो सिरकी या नेट को हटा देना चाहिए क्योंकि यह देखा गया है कि अगर सिरकी या नेट को हटाया नहीं जाता तो आर्द्रगलन बीमारी का आक्रमण अधिक तापक्रम एवं नमी होने से अधिक होता है।

रोपाई के लिए खेत की तैयारी

रोपाई से पूर्व दो–तीन जुताइयां करके खेत को अच्छी प्रकार समतल बनाकर क्यारियों और नालियों में बांट देते हैं। फिर 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्यारियों में अच्छी तरह से मिला देते हैं। दीमक व अन्य भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए रोपाई से पूर्व अन्तिम जुताई के समय क्लोरपायरीफोस 20 ई.सी. की 4–5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से बिखेरकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। रोपाई के एक दिन पूर्व कुल नाइट्रोजन का 50 प्रतिशत तथा फास्फोरस व पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए।

प्याज की रोपाई

तैयार खेत में 15 सेमी. लम्बे स्वस्थ पौधों को 15–20 सेमी. की दूरी पर पंक्तियों में रोपना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 7–10 सेमी. रखनी चाहिए। प्याज की पौध उखाड़ने के 4–5 दिन पूर्व नर्सरी की सिंचाई अवश्य करें ताकि नवजात पौधे उखाड़ते समय उनकी जड़ों को क्षति न पहुंचे। पौध को उखाड़ने के बाद रोपाई से पूर्व एक ग्राम/लीटर पानी में बाविस्टीन का घोल बनाकर उसमें जड़ों वाले हिस्से को डुबो दें। इस घोल में जड़ों को 5 मिनट डुबाने के बाद 10 मि.ली. नुवान और 1 ग्राम स्टैप्टोसाइक्लीन प्रति 10 लीटर पानी के घोल से उपचारित करें। रोपाई का कार्य शाम के समय करें ताकि रातभर में पौधों की जड़ें मिट्टी में स्थापित होकर दिन की धूप सहन कर सके। रोपाई के समय जड़ों को मुड़ने न दें। साथ ही पौधे के आसपास मिट्टी अच्छी प्रकार दबा दें ताकि पौधे को स्थापित होने में मदद मिले। रोपाई के बाद सिंचाई अवश्य करें। रोपाई के 8–10 दिन बाद कमजोर, मुरझाए और मरे हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे लगा दें।

निराई–गुड़ाई

प्याज की अधिक उपज के लिए खेत खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। प्याज के पौधों की जड़ें अपेक्षाकृत कम गहराई तक ही जाती हैं। अतः अधिक गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अन्यथा जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और उपज पर भी प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है। अच्छी फसल के लिए 2–3 बार शुरू में खरपतवार निकालना आवश्यक होता है। प्याज के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशक दवा का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्टॉम्प 3.5 लीटर दवा रोपाई के तीन दिन बाद या रोपाई के ठीक पहले 800 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करके खरपतवार खत्म करने में मदद मिलती है। खरपतवार नियंत्रण व सिंचाई समय पर आवश्यकतानुसार करते रहे। जाड़ों में सिंचाई लगभग 8–10 दिनों के अन्तर पर करते हैं परन्तु गर्मी में प्रति सप्ताह सिंचाई आवश्यक होती है। जिस समय गांठें बढ़ रही हैं उस समय सिंचाई जल्दी करते हैं। पानी की कमी के कारण गांठें अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इस तरह से पैदावार में कमी हो जाती है। खरपतवारनाशी छिड़कने के 40–45 दिनों के बाद एक निराई–गुड़ाई आवश्यक है।

खाद एवं उर्वरक

भरपूर पैदावार हेतु खाद एवं उर्वरकों का उचित प्रबन्धन अति आवश्यक है। शोध केन्द्रों और किसानों के खेतों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों से विदित होता है कि उर्वरक व खादों के उचित प्रयोग से प्याज की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। प्याज की 300 क्विंटल उपज देने वाली फसल भूमि से 85 किग्रा. नाइट्रोजन, 42 किग्रा. फास्फोरस एवं 130 किग्रा. पोटाश का अवशोषण करती है। यद्यपि सभी प्रकार की मिट्टयों के लिए एक जैसी मात्राएं बताना संभव नहीं है। प्याज की भरपूर पैदावार हेतु 150 किग्रा. नाइट्रोजन, 60 किग्रा. फास्फोरस एवं 90 किग्रा. पोटाश का प्रयोग करना चाहिए।

सिंचाई प्रबंधन

प्याज की रोपाई करने के तुरन्त बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद सिंचाई अंतराल प्याज की किस्म, जलवायु और मिट्टी की किस्म पर निर्भर करती है। भरपूर पैदावार हेतु मृदा में सदैव पर्याप्त नमी बनी रहना अत्यन्त आवश्यक है। प्याज की फसल में सिंचाई की आवश्यकता रोपाई के तीन महीने बाद तक होती है। कंद निर्माण के समय सिंचाई अत्यन्त आवश्यक है। यदि इस समय मृदा में नमी की कमी हो जाती है तो कंद फट जाते हैं जिसके कारण उपज घट जाती है। साथ ही सूखे के बाद सिंचाई करने से भी कंद के बाहरी छिल्के फटने लगते हैं। रोपाई के बाद प्याज की फसल को कुल 10–12 सिंचाईयों की आवश्यकता पड़ती है। जब पत्तियां परिपक्व होकर गिरने लगती हैं तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। खुदाई से 10–15 दिनों पहले सिंचाई रोकने में भण्डार में होने वाली क्षति कम होती है। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर प्याज के कन्दों की भण्डारण क्षमता कम हो जाती है।

खड़ी फसल में खाद देना

रोपाई के चार सप्ताह बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा सिंचाई के समय खड़ी फसल में प्रयोग करनी चाहिए। यदि किसान खाद का प्रयोग करता है तो खाद डालने के बाद सिंचाई आवश्यक है। खरीफ में रोपाई के 45 दिन बाद पैदावार बढ़ाने के लिए जस्ता, तांबा और बोरोन जैसे सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग भी उपयुक्त होता है।

पौध संरक्षण

बैंगनी धब्बा – यह रोग आल्टरनेरिया पोराई नामक फफूंद के कारण होता है। रोग के लक्षण पत्तियों, कंदों और बीजवृंतों पर नजर आते हैं। ग्रसित भागों पर छोटे, सफेद धंसे हुए धब्बों का निर्माण हो जाता है जिनका मध्य भाग बैंगनी रंग का होता है। पत्तियां और तने झुलस कर गिर जाते हैं।

विगलन– यह रोग 'फ्यूजेरियम आक्सीस्फोरम' नामक फफूंदी के कारण होता है। यह फफूंदी मिट्टी में रहती है। मिट्टी का तापमान बढ़ने पर ही पौधों पर रोग के लक्षण नजर आते हैं। इस रोग के कारण कंदों का विगलन खेत और भंडारण दोनों में ही हो सकता है। खेत में रोगग्रस्त पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जड़ें गुलाबी होकर सड़ जाती हैं। बाद में यह सड़न भंडारित कंदों को भी हानि पहुंचाती है। रोग के प्रकोप को कम करने के लिए रोग–रहित खेत में प्याज उगाएं। केवल स्वस्थ बीज एवं कंदों का उपयोग करें। पौध को आर्द्रगलन बीमारी से बचाने के लिए बीज को 0.02 प्रतिशत थायरम से उपचारित कर लेना चाहिए। यदि बीमारी का प्रकोप बीज की बुवाई के बाद आता है तो 0.2 प्रतिशत थायरम के घोल से मिट्टी को नम कर देना चाहिए।

फसल को थ्रिप्स नामक कीड़े से बचाने के लिए मेलाथियान एक मिली. अथवा मोनोक्रोटोफॉस 1/2 मिली. का प्रति लीटर पानी की दर से या डेल्टामेथिन (7.5 ग्राम ए.आई. प्रति हेक्टेयर) या सायपरमिथेन का (10 ईसी 0.01 प्रतिशत) छिड़काव करना चाहिए। छिड़कने वाले घोल में चिपकने वाले द्रव जैसे सॅडोविट 0.06 प्रतिशत की दर से अवश्य मिलाएं। पर्पलब्लाच (बैंगनी धब्बा) तथा स्टेमफिलियम झुलसा रोग से बचाव के लिए मैन्कोजब 2.50 ग्राम अथवा क्लोरोथेलोनील 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10–15 दिनों के अन्तर पर छिड़काव करें। छिड़कने वाले घोल में चिपकने वाली दवा अवश्य मिलाएं। उपरोक्त कीट एवं बीमारियों में दोनों दवाएं एक साथ मिलाकर छिड़क सकते हैं। प्याज खोदने के 20 दिन पूर्व छिड़काव बंद कर लेना चाहिए।

खुदाई

रबी फसल पकने पर जब प्याज की पत्तियां सूखकर गिरने लगे तो सिंचाई बन्द कर देनी चाहिए और 15 दिन बाद खुदाई कर लें। प्याज की खुदाई उसके उपयोग एवं किस्म की परिपक्वता पर निर्भर करती है। खरीफ फसल को तैयार होने में लगभग 5 माह लग जाते हैं क्योंकि गांठे नवम्बर में तैयार होती हैं जिस समय तापमान काफी कम होता है। पौधे पूरी तरह से सूख नहीं पाते इसलिए जैसे ही गांठे अपने पूरे आकार की हो जाएं एवं उनका रंग लाल हो जाए, तो खुदाई से करीब 10 दिन पहले सिंचाई बन्द कर देनी चाहिए। इससे गांठे सुडौल एवं ठोस हो जाती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। जब गांठे अच्छी आकार की होने पर भी खुदाई नहीं की जाती तो वे फटना शुरू कर देती है। सब्जी के लिए हरी प्याज को छोटे कंद बन जाने पर जब पत्तियां कोमल व हरी रहती हैं तो प्याज को हाथ से उखाड़ लेते है। प्रायः रोपाई के 3–4 माह बाद कंद पककर तैयार हो जाते हैं। जब लगभग 70 प्रतिशत फसल के ऊपरी भाग सूखकर गिर जाए तो समझना चाहिए कि फसल खुदाई हेतु तैयार है। खुदाई के समय मृदा में नमी होनी चाहिए जिससे प्याज के कंदों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। यदि भूमि सख्त न हो तो गांठों को हाथों से भी उखाड़ा जा सकता है। प्याज की 50 प्रतिशत पत्तियां जमीन पर गिरने के एक सप्ताह बाद खुदाई करने से भण्डारण में होने वाली हानि कम होती है।

असामयिक फूलों का आना

यदि कंदों में असामयिक फूल आ जाए तो प्याज की गुणवत्ता में काफी गिरावट आ जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे पैतृक गुण, किस्म, प्रकाश अवधि, तापमान का एक

दम घटना–बढ़ना, सिंचाई व पोषक तत्व प्रबंधन इत्यादि। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए रोपाई के 75 दिन बाद 0.20–0.25 प्रतिशत मैलिक हाइड्रोजाइड रसायन का छिड़काव करना चाहिए।

प्याज को सुखाना व भण्डारण

खुदाई उपरांत प्याज को कतारों में रखकर सुखा देते हैं। पत्ती को गर्दन से 2.5 सेमी. ऊपर से अलग कर देते हैं और फिर एक सप्ताह तक सुखा लेते हैं। सुखाते समय सड़े हुए, कटे हुए, दो–फाड़ वाली, एवं अन्य खराब किस्म की गांठे निकाल देते हैं। पत्तियों सहित धूप में सुखाने तथा सूखी पत्तियों सहित भण्डारण करने में क्षति कम होती है। प्याज के कन्दों को भण्डार में रखने से पहले सुखने के लिए छाया में जमीन पर फैला देते हैं। सुखाते समय कन्दों को सीधी धूप तथा वर्षा से बचाना चाहिए। सुखाने की अवधि मौसम पर निर्भर करती है। कंदों की अच्छी तरह सुखाने के लिए 3 दिन खेत में तथा एक सप्ताह छाया में सुखाने के बाद 2–2.5 सेमी. छोड़कर पत्तियों को काटने से भण्डारण में हानि कम होती है। भण्डारण को सुखाते समय कटे हुए, जुड़वा पाईपों वाली तथा मोटे गर्दन की कन्दों को अलग कर देते हैं क्योंकि ये भण्डारण में खराब हो जाती हैं।

उपज

प्याज की नवीनतम प्रजातियां व आधुनिक सस्य प्रौद्योगिकी अपनाने पर खरीफ में 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर औसत उपज हो जाती है तथा रबी में 300–350 कुन्तल प्रति हेक्टेयर प्याज कन्दों की पैदावार हो जाती है।

(लेखक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)
ई–मेल : v.kumarnovod@yahoo.com

करेला खाओ, निरोग हो जाओ

संगीता यादव

करेले का नाम सुनते ही कड़वेपन का ख्याल आ जाता है। हरे या गहरे हरे रंग की इस सब्जी का स्वाद भले ही मन को न भाए पर इसमें ढेरों एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। करेले का सेवन हम कई रूपों में कर सकते हैं। हम चाहें तो इसका जूस पी सकते हैं, अचार बना सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में कर सकते हैं।

करेले का स्वाद जितना कड़वा होता है वह स्वास्थ्य के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद है। यही वजह है कि करेले को हर सीजन में बड़े चाव से खाया जाता है। जो लोग करेले का सप्ताह में एक दिन भी प्रयोग कर लेते हैं उन्हें तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। कड़वे स्वाद वाला करेला ऐसी सब्जी है, जिसे अक्सर नापसंद किया जाता है। लेकिन अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण यह दवा के रूप में भी काफी लोकप्रिय है। करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन सेहत के लिहाज से यह बहुत फायदेमंद होता है। करेले में अन्य सब्जी या फल की तुलना में ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं।

करेला खुश्क तासीर वाली सब्जी है। यह खाने के बाद आसानी से पच जाता है। करेले में फास्फोरस पाया जाता है जिससे कफ की शिकायत दूर होती है। करेले में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और विटामिन पाया जाता है।

लतादार टहनियों को लेकर सर्पीले आकार में बढ़ने वाले करेले को विभिन्न रूपों में खाया जाता है। इसकी सब्जी, अचार के साथ ही अब इसका जूस भी प्रयोग किया जाता है। करेले का स्वाद कड़वा होता है। भारत के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित दक्षिण अफ्रीका के देशों में इसकी बहुतायत है। भारत में इसकी खेती अलग–अलग सीजन में की जाती है। फरवरी–मार्च के सीजन में बोए जाने वाले करेले का फल लंबाई में छोटा होता है। यह करीब चार से छह सेंटीमीटर लंबा एवं तीन से चार सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके स्वाद में कड़वापन कुछ अधिक होता है। यह फल मई–जून में बहुतायत संख्या में मिल जाता है। इसके बाद जुलाई माह में लंबाई वाले करेले की खेती होती है। बारिश की वजह से इसे छप्पर जैसा मचान बनाकर ऊपर चढ़ाते हैं और इसका फल नीचे लटकता रहता है। इस सीजन के करेले की लंबाई एक फीट से डेढ़ फीट तक होती है,लेकिन मोटाई दो से तीन सेंटीमीटर ही होती है। यह गर्मी सीजन के करेले की अपेक्षा कम कड़वा होता है। इसमें बीज भी न के बराबर रहते हैं।

उत्तरी भारत में इसकी सब्जी प्याज और आलू के साथ बनाई जाती है। पंजाबी भोजन में इसमें मसाले भर कर फिर तेल में पकाया जाता है। दक्षिण भारत में यह नारियल के साथ मिश्रित रूप में बनाया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कड़वे करेले अक्सर प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और जीरे की एक चुटकी के साथ पकाया जाता है। पाकिस्तान में इसे उबाल कर खाने का भी चलन है।

करेला अपच और कब्ज में कारगर है। मधुमेह में इसे सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है। एक चिकित्सीय परीक्षण के बहुत सीमित सबूत है कि करेले से प्रतिरक्षा सेल को सुरक्षा मिलती है। इसे कैंसर और एचआईवी रोगियों के लिए फायदेमंद पाया गया है। करेले में प्रचुर मात्रा में विटामिन, कैरोटीन, बीटाकैरोटीन, लूटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैगनीज जैसे फ्लावोन्वाइड भी पाए जाते हैं।

करेले के प्रमुख चिकित्सकीय गुण

मधुमेह में रामबाण – मधुमेह में करेला रामबाण साबित होता है। मधुमेह के रोगियों को हर हाल में एक गिलास करेले का जूस पीना चाहिए। करेले में इंसुलिन की तरह कई रसायन पाए जाते हैं, जो ब्लड शूगर लेवल को कम करता है। करेले के टुकड़ों को छाया में सुखाकर पीसकर महीन पाउडर बना लें। रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच पाउडर का पानी के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। एक–चौथाई कप करेले के रस में समान मात्रा में गाजर का रस मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। 10 ग्राम करेले के रस में शहद मिलाकर रोजाना पीने से मधुमेह नियंत्रण में रहता है। 10 ग्राम करेले के रस में 6 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर रोज सुबह खाली पेट पीना लाभकारी है। एक करेले को एक कप पानी में अच्छी तरह उबालकर पिएं। इसमें हरे सेब का रस, आंवले का रस या 2–3 चुटकी हींग मिलाकर भी सकते हैं।

रोजाना 5 ग्राम करेले का रस पीते रहने वाले लोगों को डायबिटीज में फायदा दिखने लगता है। करेला अन्य औषधियों के समान शरीर के केवल एक अंग या टिशू को ही टारगेट नहीं बनाता बल्कि पूरे शरीर के ग्लूकोज मैटाबॉलिज्म पर असर करता है। सूखे करेले को पीस कर उसके 6 ग्राम चूर्ण को दिन में सिर्फ एक बार लेने से मूत्र में चीनी आना थम जाता है। बच्चे को डायबिटीज होने पर उन्हें प्रतिदिन करेले की सब्जी खिलाते रहने से काफी लाभ होता है।

सांस की बीमारी– सांस संबंधी बीमारी में करेले को बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह अस्थमा, सर्दी और खांसी जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद है। करेले का सप्ताह में एक दिन सेवन करने से इन बीमारियों के नजदीक आने का खतरा कम हो जाता है। यदि किसी को अस्थमा की शिकायत हो तो उसे नियमित तौर पर करेले को सब्जी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। करीब 15 दिन के प्रयोग के बाद इसका असर दिखने लगता है। एक कप पानी में दो चम्मच करेले का रस, तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर रात में सोते समय पीने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों में आराम मिलता है।

लीवर में कारगर – यदि किसी को लीवर की समस्या है तो वह प्रतिदिन एक गिलास करेले का जूस पीकर चंगा हो सकता है। यदि प्रतिदिन न पी सकें तो सप्ताह में एक दिन भी करेले का जूस पीना फायदेमंद होता है।

इंफेक्शन में फायदेमंद – करेला इंफेक्शन में काफी फायदेमंद होता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इंफेक्शन से बचने के लिए करेले का जूस पीना चाहिए। इतना ही नहीं करेले की पत्ती को पानी में उबाल कर इसका सेवन करने से भी फायदा मिलता है।

चेहरे की चमक लौटाए – करेले का नियमित सेवन करने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मुहांसे धीरे–धीरे खत्म हो जाते हैं। करेले के सेवन से चेहरे के दाग–धब्बों के मिटने के साथ ही मुहांसों से पड़ने वाले दाग भी धीरे–धीरे कम हो जाते हैं। हर दिन खाली पेट में करेले के जूस को नींबू के साथ मिलाकर छह महीने तक पीने से चेहरे की कांति लौट आती है।

त्वचा रोग में कारगर – इसमें मौजूद बिटर्स और एल्केलाइड तत्व रक्तशोधक का काम करते हैं। करेले की सब्जी खाने और मिक्सी में पीस कर बना लेप रात में सोते समय लगाने से फोड़े–फुंसी और त्वचा रोग नहीं होते। दाद, खाज, खुजली, सियोरोसिस जैसे त्वचा रोगों में करेले के रस में नींबू का रस मिलाकर पीना फायदेमंद है। करेले के पत्तों को पत्थर पर घिसकर चटनी जैसा बनाकर लेप लगाने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। इससे आग से जलने से होने वाले घावों में भी आराम मिलता है।

खसरा – खसरा होने पर दो चम्मच करेले के रस में एक चम्मच शहद और दो चुटकी हल्दी मिलाकर दिन में दो बार लेना फायदेमंद है।

कैंसर में कारगर – करेला कैंसर सेल को बढ़ने से भी रोकता है। कैंसर के मरीजों को करेले का नियमित सेवन करना चाहिए। करेले में मौजूद खनिज और विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला भी किया जा सकता है।

पाचन–तंत्र मजबूत करे – करेला पाचन तंत्र में भी कारगर है। यह कब्ज रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। करेले में फाइबर के गुण पाए जाने की वजह से यह पाचन–तंत्र को मजबूत बनाता हैं। अपच और कब्ज की शिकायत को दूर करता है।

किडनी और ब्लडर – करेला लीवर और ब्लडर को स्वस्थ बनाता है। साथ ही किडनी के स्टोन के लिए भी फायदेमंद होता है।

पथरी रोग में फायदेमंद– पथरी रोगियों को दो करेले का रस पीने और करेले की सब्जी खाने से आराम मिलता है। इससे पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। 20 ग्राम करेले के रस में शहद मिलाकर पीने से पथरी गलकर पेशाब के रास्ते निकल जाती है। इसके पत्तों के 50 मिलीलीटर रस में थोड़ी–सी हींग मिलाकर पीने से पेशाब खुलकर आता है।

हृदय रोग में फायदेमंद– करेला दिल के लिए कई मायनों में काफी फायदेमंद होता है। यह अर्टरी वॉल पर इकठ्ठा होने वाले खराब कोलेस्ट्रोल को कम करता है, जिससे हॉर्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। साथ ही यह ब्लड शूगर लेवल को भी कम करता है, जिससे दिल तंदुरुस्त बना रहता है।

जिगर – जिन बच्चों का जिगर खराब होता है,पेट साफ नहीं होता और पानी पीने से पेट फूल जाता है उन्हें आयु के हिसाब से एक या आधा चम्मच करेले के रस में पानी मिलाकर पिलाने से बढ़ा हुआ जिगर ठीक हो जाता है और पेट में भरा पानी साफ हो जाता है।

पेट के कीड़े– करेले की पत्तियों के रस को एक गिलास छाछ में मिलाकर लेने से पेट के कीड़ों से छुटकारा मिल सकता है। पेट में मौजूद कीड़े मर कर बाहर निकल जाते हैं। पेट साफ रहने लगता है।

पीलिया में अचूक – पीलिया और मलेरिया में भी करेला कारगर है। करेले को पीसकर निकाले गए रस को दिन में दो बार पिलाना चाहिए। पीलिया में कच्चा करेला पीसकर खाना फायदेमंद है।

वजन घटाए– करेला मोटापा कम करने की दिशा में भी कारगर है। करेले में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मोटापा को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर के मेटाबोलिज्म और पाचन–तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। करेले का रस और एक नींबू का रस मिलाकर सुबह सेवन करने से शरीर में उत्पन्न टॉकसिंस और अनावश्यक वसा कम होती है और मोटापा दूर होता है।

जोड़ों के दर्द – गठिया या जोड़ों के दर्द में करेले की सब्जी खाने और दर्द वाली जगह पर करेले के पत्तों के रस से मालिश करने से आराम मिलता है। रात को सोते समय करेले के पत्ते को हल्का गर्म करके दर्द वाली जगह पर बांध देने से सुबह फायदा मिलता है।

100 ग्राम कच्चे करेले में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व

- ऊर्जा — 79 जूल
- कार्बोहाइड्रेट — 4.32 फीसदी
- आहार फाइबर — 2.0 फीसदी
- फैट — 0.18 फीसदी

- प्रोटीन 0.84 फीसदी
- जल 93.95 ग्राम
- विटामिन ए 0.051 मिलीग्राम
- विटामिन बी 2 0.053 मिलीग्राम
- विटामिन बी6 0.041 मिलीग्राम
- विटामिन सी 33.0 मिलीग्राम
- विटामिन ई 0.14 मिलीग्राम
- कैल्शियम 9 मिलीग्राम
- आयरन 0.38 मिलीग्राम
- मैगनीशियम 16 मिलीग्राम
- फास्फोरस 36 मिलीग्राम
- पोटाशियम 319 मिलीग्राम
- सोडियम 6 मिलीग्राम
- जस्ता 0.77 मिलीग्राम

पित्त रोग– करेला पित्त रोग में काफी फायदेमंद है। अम्लपित्त के रोगी जिन्हें भोजन से पहले उल्टियां होने की शिकायत रहती है, करेले के पत्तों को सेंककर सेंधा नमक मिलाकर खाने से पित्त का असर कम हो जाता है। इसी तरह उल्टी –दस्त की शिकायत पर करेले के तीन बीज और तीन काली मिर्च को घिसकर पानी मिलाकर पिलाने से उल्टी–दस्त बंद हो जाते हैं।

हैजे में राहत– हैजे के रोगी को करेले के रस में प्याज का रस और कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर देना लाभदायक है।

खूनी बवासीर– खूनी बवासीर में करेले का रस पीने से फायदा मिलता है। करीब सप्ताहभर तक करेले का नियमित सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक होने लगती है। शौच के दौरान होने वाली तकलीफ भी धीरे–धीरे कम हो जाती हैं। खून निकलना बंद हो जाता है। बवासीर के मरीजों को करेले का जूस एवं बिना मसाले की भूजिया सब्जी खानी चाहिए।

सिरदर्द– सिरदर्द होने पर करेले के रस का लेप लगाने से आराम मिलता है। माइग्रेन के मरीजों को करेले का प्रयोग खाने में करना चाहिए। साथ ही इसका लेप तैयार करके घर में रखना चाहिए। जब भी दर्द शुरू हो लेप लगा लेना चाहिए। इससे सिर की फटन कम हो जाती है। आंखों में होने वाली जलन भी खत्म हो जाती है।

मुंह में छाले – मुंह में छाले होने पर करेले के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ली करते रहने से फायदा मिलता है। इससे छालों से होने वाला संक्रमण भी रुकता है।

रतौंधी – करेले के रस में पिसी काली मिर्च अच्छी तरह

मिलाएं। यह लेप आंखों के बाहरी हिस्से पर लगाने से रतौंधी की बीमारी दूर होती है।

कफ पीड़ितों के लिए फायदेमंद– कफ की शिकायत होने पर करेले का सेवन करना चाहिए। करेले में फास्फोरस होता है जिसके कारण कफ की शिकायत दूर होती है।

लकवा में फायदेमंद– करेला लकवे के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए लकवे के मरीज को कच्चा करेला नियमित खाना चाहिए।

एनीमिया– एनीमिया के मरीजों को करेले का खूब सेवन करना चाहिए। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को इसे जरूर खाना चाहिए क्योंकि करेला खून साफ करता है। करेला खाने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

एक अर्थशास्त्री ने बदली खेती की परिभाषा

बलवंत सिंह मौर्य

अर्थशास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद लोकेश कुमार नामक युवक ने किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय खेती को पेशा बनाया। यह कहानी सुनने में अचरज भरी लगती है, लेकिन शत-प्रतिशत सच है। लोकेश अर्थशास्त्री ने अपने ज्ञान के जरिए खेती का अर्थशास्त्र ही बदल दिया। कल तक जहां तमाम किसान खेती को घाटे का सौदा मान रहे थे वहीं अब वे भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। न ज्यादा रासायनिक खाद और न महंगी सिंचाई। बस वैज्ञानिकों की ओर से बताई गई तकनीक के तहत मिश्रित खेती का फंडा अपनाकर अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं। हालत यह है कि तूर उत्पादन की दिशा मे लोकेश का गांव ही नहीं बल्कि पूरा इलाका अपना योगदान दे रहा है।

कुछ लोग नए–नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। तमाम किसान खेती को घाटे का सौदा बताने से नहीं चूकते, लेकिन इनके बीच जो प्रगतिशील किसान होते हैं वे अनुपजाऊ मिट्टी में भी सोना उगाने का साहस रखते हैं। ये ऐसे किसान होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता भी बचाते हैं और अधिक उपज हासिल करके लाभ भी कमाते हैं। ऐसे ही किसान हैं लोकेश कुमार। लोकेश ने अपने नाम के अनुरूप अपना यश पूरे इलाके में फैलाया है। अब तमाम किसान उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। इस पहल के लिए उन्हें ब्लॉक से लेकर जिला–स्तर पर कई तरह के सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। वह प्रदेश–स्तर पर तूर उत्पादन के क्षेत्र में सम्मान हासिल कर चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज तहसील क्षेत्र के छोटे से गांव नगला राधे निवासी लोकेश कुमार ने खेती के जरिए अपना अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हें यह मुकाम हासिल कराने में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोकेश ने वैज्ञानिकों की ओर से बताई गई हर तकनीक को गौर से सुना और उसे वास्तविकता में परखने की कोशिश की। उनकी यह कोशिश रंग लाई। आज स्थिति यह है कि वह तूर उत्पादकों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। अपने जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के किसानों के बीच भी उनका नाम चमक रहा है। गांव के तमाम युवाओं की तरह ही उन्होंने भी उच्च शिक्षा हासिल करने को अपना लक्ष्य बनाया। स्नातक के बाद अर्थशास्त्र से परास्नातक की डिग्री हासिल की। वह चाहते तो इस डिग्री के बाद किसी कॉलेज में अध्यापक के कार्य में जुट जाते, लेकिन उन्होंने खेती को अपना पेशा बनाना तय किया। हालांकि उनके पास सिर्फ पांच बीघा ही पैतृक जमीन थी, जिस पर उनके परिवार के लोग खेती करते थे। तमाम बड़े किसानों की तरह इतनी खेती से पैसा कमाना सपने जैसा था, लेकिन लोकेश ने अपनी अर्थशास्त्र की पढ़ाई से मिले ज्ञान को खेती के अर्थशास्त्र को समझने में लगाया। वह बताते हैं कि उन्होंने तय किया कि वह कम लागत

में अधिक मुनाफा कमा कर दिखाएंगे। घाटे का भी डर मन में था, लेकिन अपने आप पर भरोसा था, फिर क्या था वह खेती में कूद पड़े।

लोकेश कुमार बताते हैं कि उनके गांव के तमाम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहे हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग करने से कुछ समय तक तो उपज अच्छी मिलती है, लेकिन धीरे–धीरे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होने लगती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि मिट्टी को पहले से कहीं ज्यादा रासायनिक खाद की जरूरत होती है। रासायनिक खाद अधिक होने का नतीजा यह होता है कि मिट्टी उर्वरता के बजाय उसरता की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे में किसान को दोहरा नुकसान होता है। एक तो उसकी उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है, दूसरा रासायनिक खाद के नाम पर उसे अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में उनके मन में विचार आया कि आखिर खेत की मिट्टी को कैसे बचाएं और अधिक उत्पादन कैसे पाया जाए। क्योंकि खेत को खाली छोड़ना भी घाटे का सौदा है। फिर क्यों न ऐसी कोई तकनीक अपनाई जाए, जिससे उत्पादन भी मिलता रहे और मिटटी में भी सुधार होता रहे। इसी मंशा के साथ उन्होंने खेती की ओर कदम बढ़ाया। कृषि विभाग में जाकर खेतों की मिट्टी की जांच करवाई। जिस खेत की मिट्टी की उर्वरता कम हो गई थी उसमें वैज्ञानिकों की सलाह पर तूर की खेती करवाई। एक साल तूर की खेती करने से उस खेत की मिट्टी में भी सुधार हुआ और उत्पादन भी अधिक मिला।

कृषि प्रदर्शनी से दिखाई राह

लोकेश बताते हैं कि उन्होंने जब खेती का काम शुरू किया था उसी समय पता लगा कि कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह वाकया है साल 2008 का। उन्होंने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। वहां मौजूद प्रगतिशील किसानों से खेती के गुर सीखे। कृषि अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की ओर से बताई गई तकनीक को जाना। इस प्रदर्शनी में जानकारी मिली कि किसान जैविक खेती की तकनीक अपनाने के साथ ही मिश्रित खेती को भी अपनाए। इससे कई तरह के फायदे होंगे। यहां दलहन की खेती के बारे में विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों का कहना था कि दलहन की खेती अपने इलाके में कम हो रही है। इससे दालों का संकट खड़ा हो रहा है। साथ ही दालों की खेती से खेत को मिलने वाला फायदा नहीं मिल पा रहा है। फिर क्या था। तय किया कि इस बार आलू, मटर व गेहूं के बजाय दलहन की खेती की जाएगी। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद दलहन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई। कृषि अधिकारियों की सलाह पर वे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर पहुंचे। यहां आयोजित कार्यशाला में दलहन की खेती के बारे में जानकारी मिली। साथ ही संस्थान की ओर से विकसित की गई तमाम किस्मों और उनकी खेती के तरीके भी सिखाए गए।

लोकेश बताते हैं कि प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के बाद जब वह घर लौटे तो मन में तमाम तरह के सवाल थे। दलहन की खेती पहली बार करने की तैयारी में थे, इस वजह से डर भी लग रहा था कि कहीं घाटा न लग जाए। फिर तय किया कि घाटे की परवाह किए बगैर एक बार प्रयोग करते हैं। प्रयोग सफल रहा तो अच्छा है। अन्यथा इसके नुकसान की भरपाई दूसरी फसल से कर लेंगे। इसी इच्छा के साथ फिर से कृषि विभाग और अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क किया। पहली बार करीब दो एकड़ में तूर की खेती शुरू की। इसमें वैज्ञानिकों की हर बात को ध्यान में रखा। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो खुशी का ठिकाना नहीं था। फसल तैयार करने में करीब आठ हजार रुपये खर्च हुए थे, लेकिन उत्पादन की कीमत मिली करीब एक लाख रुपये तक। यह उनके लिए किसी अजूबे जैसा था। इस सफलता की जानकारी मिलते ही आसपास के किसानों में भी तूर की खेती के प्रति ललक पैदा हुई। हर किसान उनके पास आकर तूर की खेती की जानकारी जानने

लगा। फिर क्या था पूरा इलाका तूर की खेती में जुट गया। आज स्थिति यह है कि उनके पूरे इलाके में तूर की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। लोकेश बताते हैं कि उन्होंने कृषि अधिकारियों की सलाह पर तूर उत्पादकों का एक समूह गठित कर लिया है। इस समूह के जरिए किसानों को मदद भी मिल रही है और वे अपनी उपज का उचित दाम भी हासिल कर रहे हैं। पूरे समूह की ओर से तूर की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बड़े व्यापारी गांव तक आते हैं। उपज का मूल्य गांव से ही तय होता है। ऐसे में किसान भी खुश हैं और व्यापारी भी। क्योंकि व्यापारियों को एकमुश्त बड़ी संख्या में तूर जो मिल रही है दूसरी तरफ किसानों को मंडी जाने का खर्चा भी बच रहा है।

समूह गठित कर हासिल किया मुकाम

लोकेश कुमार का कहना है कि अब वह खेती के साथ ही अपने समूह के किसानों से बातचीत करके दूसरे तरीके के भी प्रयोग कर रहे हैं। कृषि यंत्रों की खरीद से लेकर अन्य तकनीकी जानकारी के मामले में भी उनका पूरा समूह एक साथ रहता है। स्थिति यह है कि अब गांव में नियमित तौर पर कृषि वैज्ञानिक आते हैं। वे किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं।

तकनीक सेंटर खोलने की पहल

लोकेश कुमार ने बताया कि उनके समूह की कोशिश है कि एक ऐसा सेंटर विकसित किया जाए, जिससे पूरे जिले के किसानों को तकनीकी जानकारी मिल सके। वे अपने इलाके में एक सेंटर खुलवाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं और जानकारियां मिल सकेंगी।

मधुमक्खी पालन से लेकर पशुपालन तक

इस इलाके के तमाम किसान तूर उत्पादन में अधिक मुनाफा कमाने के साथ ही अब दूसरे तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं। कुछ किसानों को मधुमक्खी पालन में लगाया जा रहा है तो कुछ किसान पशुपालन में भी जुटे हैं। इस तरह लोकेश के जरिए गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के किसानों ने नाम कमाया है। तूर उत्पादन में अपनी उपयोगिता साबित की है। साथ ही नए–नए प्रयोगों के जरिए खेती की दिशा में मिसाल कायम कर रहे हैं। इन प्रयोगों से खेती के प्रति लोगों में ललक बढ़ी है। साथ ही इलाके के लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव आया है। अब तमाम युवा पढ़ाई–लिखाई के बाद महानगरों में भटकने के बजाय नई तकनीक से खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं।

जैविक खेती में कायम किया रिकार्ड

लोकेश कुमार बताते हैं कि उनके गांव के आसपास के तमाम किसान रासायनिक खाद के जरिए आलू, मटर, तूर आदि की खेती कर रहे थे। उन्होंने हिसाब लगाया तो इसमें लागत अधिक आ रही थी। ऐसे में तय किया कि आलू की थोड़ी–सी खेती जैविक आधार पर करते हैं। फिर क्या था, उनकी यह सोच रंग लाने लगी। जैविक आधार पर की गई आलू की फसल रासायनिक खाद के जरिए की गई फसल से अच्छी हुई। उत्पादन अधिक मिलने के साथ ही आलू का भाव भी अच्छा मिला। फिर दोनों खेतों की मिट्टी की जांच कराई तो पता चला कि जैविक खेती वाले खेत की मिट्टी की उर्वरता पहले से बेहतर हुई है। इसके बाद तो वह आलू की पूरी खेती जैविक आधार पर करने लगे। धीरे–धीरे उन्हें लोग जैविक खेती वाले किसान के रूप में जानने लगे। ऐसे में उनके आलू का भाव दूसरे किसानों के आलू से अधिक मिलने लगा।

खेती में नए–नए प्रयोग का शौक

लोकेश कुमार बताते हैं कि उन्हें खेती में नए–नए प्रयोग करने का शौक है। यही वजह है कि वह जब भी कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं, कुछ नया और अलग तरीके का करने पर विचार करते रहे हैं। हालांकि कई बार इसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वह नए प्रयोग से होने वाले फायदे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे एक ही फसल लेने के बजाय वह बहुफलीय खेती करने पर अधिक जोर देते हैं। खेती के दौरान वह इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को कैसे बचाया जाए। यही वजह है कि खेतों में अलग–अलग सीजन में अलग–अलग फसल बोते हैं। यानी आलू के खेत में सिर्फ आलू की नियमित खेती नहीं लेते हैं। आलू के खेत में कभी तूर की बुवाई करते हैं तो कभी मूंग और मोठ की खेती भी कर लेते हैं। ऐसे में मिट्टी का संतुलन बरकरार रहता है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के राज के बारे में वह बताते हैं कि मिट्टी का संतुलन बरकरार रखने से उन्हें अधिक खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। पानी भी फसल की जरूरत के हिसाब से ही देते हैं। इसके लिए वह कोई भी फसल बोने से पहले वैज्ञानिकों से उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। खेती मटर की हो या आलू की सभी को वह वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उन्हें कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

हमारे आगामी अंक

मार्च, 2014	–	ग्रामीण क्षेत्र–आधारभूत संरचनाएं
अप्रैल, 2014	–	बजट 2014–15
मई, 2014	–	ग्रामीण भारत में कृषि आधारित उद्योग
जून, 2014	–	कृषि विकास एवं नई तकनीक

भारत 2014

अपनी अग्रिम प्रति जल्दी बुक कराएं

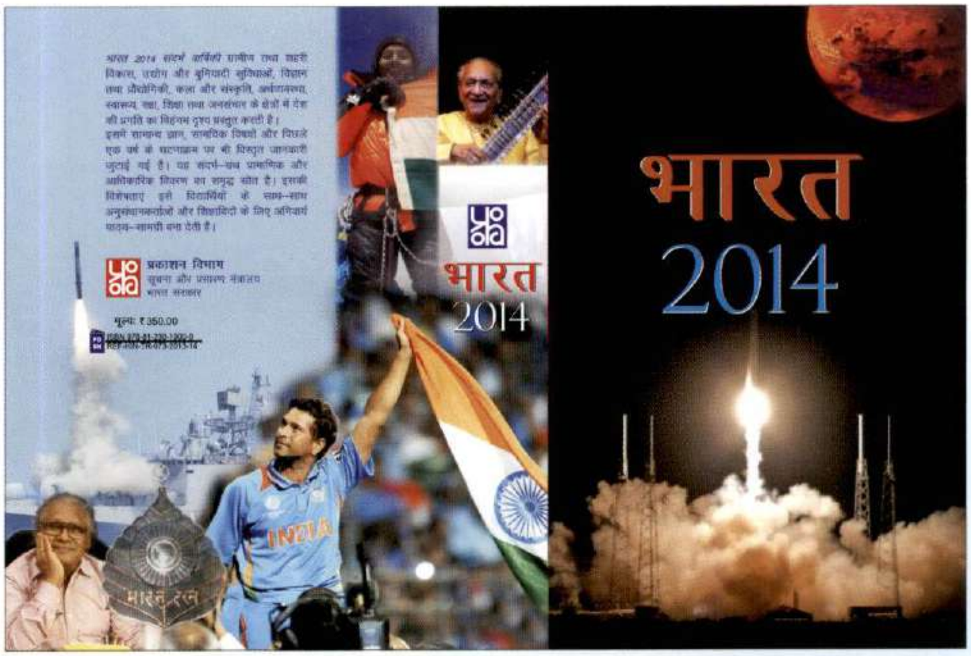

मूल्य :- 350.00

हमारे सेल्स एंपोरियम और बिक्री कार्यालयों से सम्पर्क करें

- **नई दिल्ली**
  सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
  फोन: 011–24367260, 24365610
  फैक्स: 011– 24365609
  businesswng@gmail.com
- **दिल्ली**
  हॉल नम्बर–196, पुराना सचिवालय
  फोन: 011–23890205
  businesswng@gmail.com
- **कोलकाता**
  8, एस्प्लेनेड ईस्ट
  फोन: 033–22488030
  bengaliyojana@gmail.com
- **तिरुअनंतपुरम**
  प्रेस रोड, नियर गवर्नमेंट प्रेस
  फोन: 0471–2330650
  yojanamal50@yahoo.co.in
- **बंगलुरु**
  प्रथम तल , 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन,
  कोरामंगला
  फोन: 080–25537244
  yojanakannada@yahoo.com
- **पटना**
  बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग,
  अशोक राजपथ
  फोन: 0612–2683407
- **नवी मुंबई**
  701, 'सी' विंग, 7वीं मंजिल,
  केंद्रीय सदन, बेलापुर
  फोन: 022–27570686
  yngovt.patrika242@gmail.com
- **चेन्नई**
  'ए' विंग राजाजी भवन,
  बेसेंट नगर
  फोन: 044–24917673
  editorthittam@yahoo.co.in
- **हैदराबाद**
  ब्लॉक नं.–4, प्रथम तल,
  गृहकल्प कॉम्प्लेक्स,
  एम.जी.रोड, नामपल्ली
  फोन: 040–2460538
  yojana_telugu@yahoo.co.in
- **लखनऊ**
  हाल नं. 1, द्वितीय तल,
  केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज
  फोन: 0522–2325455
- **गुवाहाटी**
  के.के.बी.रोड, न्यू कालोनी,
  हाऊस नं.–7, चैनीकुथी
  फोन: 0361–2665090
  yojanaasomia@yahoo.co.in
- **अहमदाबाद**
  अंबिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
  पालदी
  फोन: 079–26588669
  yojanagujarati@gmail.com

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

website: publicationsdivision.nic.in
e-mail: dpd@sb.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2012–14
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस. दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2012–14

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : ईरा जोशी अपर महानिदेशक (प्रमुख), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना